बुधवार,
१० मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १० मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते

*८५५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भाग 'ख' राज्यों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद २२१ के अधीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के बारे में कोई आदेश जारी किया गया है ; तथा

(ख) क्या इस आदेश के जारी किये जाने के पहले उक्त राज्यों के राजप्रमुखों के साथ परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) हां। ऐसे आदेशों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]

(ख) हां।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या सारे भाग 'ख' राज्यों के विद्यमान न्यायाधीशों

को एक से वेतन दिये जाते हैं और भाग 'क' राज्यों में दिये जाने वाले वेतनों की अपेक्षा वे कैसे हैं ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य को विदित ही है कि भाग 'क' राज्यों में प्रत्येक न्यायाधीश को ३,५०० रुपए तथा मुख्य न्यायाधीश को ४,००० रुपए वेतन के रूप में दिये जाते हैं। भाग 'ख' राज्यों में हम कुछ मितव्ययता से काम चलाते हैं।

संस्कृत स्कूल

*८५७. **सेठ गोविन्द दास**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे संस्कृत स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्रीय सरकार सहायता देती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी संस्कृत विद्यालय को सीधी सहायता नहीं दी जाती है। आगे चल कर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं का सम्बन्ध, जिनमें संस्कृत विद्यालय भी आते हैं, मुख्यतः राज्य सरकारों से होता है और संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्यों तथा विश्वविद्यालयों पर है।

सेठ गोविन्द दास: इन विभिन्न विश्वविद्यालयों को जो केन्द्र से रक़म या सहायता दी जाती है उसमें क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिस से यह कहा जाय कि यह रुपया वे विश्वविद्यालय संस्कृत के विद्यालयों को दें ?

डा० एम० एम दास: राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के अलावा, स्वयं केन्द्रीय सरकार भी संस्कृत के अध्ययन एवं संशोधन तथा संस्कृत ग्रंथों के प्रकाशन के लिए पर्याप्त उपाय तथा कार्यवाही कर रही है। यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं ऐसी वित्तीय सहायता की सूची दे सकता हूं जो गत कुछ वर्षों में विभिन्न अखिल भारतीय संस्थाओं को दी गई हैं।

सेठ गोविन्द दास: माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा था कि इस विषय में केन्द्र की सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है। इसी लिये मैं ने यह पूछा कि क्या इस प्रकार की कोई दरखास्तें केन्द्र के पास संस्कृत के विद्यालयों से आयी हैं कि जिन में इस प्रकार की कोई सहायता केन्द्र से मांगी गयी हो ?

डा० एम० एम० दास: जहां तक विभिन्न राज्यों के संस्कृत विद्यालयों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण (पटना बैंच)

*८५८. **श्री एस० एन० दास:** क्या विधि मंत्री १ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान देने का तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पटना बैंच को कलकत्ते ले जाने के प्रश्न पर पुनर्विचार तथा अन्तिम निर्णय किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): (क) तथा (ख). मैं कुछ समय से पटना तथा इलाहाबाद के बेंचों के प्रश्न पर विचार कर रहा हूं किन्तु मैं अभी तक किसी सन्तोषजनक निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं। मैं इस स्थानीय मनोभावना से परिचित हूं कि बेंच ज्यों के त्यों रहने दिये जायें। किन्तु गत वर्ष में इन दो स्थानों में लंबित मामलों तथा नये मामलों की कुल संख्या घटती जा रही है। अतः इन के पास पूरे दिन का काम नहीं होता है। फिर भी मैं न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके इस विषय पर अग्रेतर विचार कर रहा हूं।

श्री एस० एन० दास: क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि देश के विभिन्न बेंचों की पुराने तथा नये मामलों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बिस्वास: मैं माननीय सदस्य के सामने लम्बित मामलों, गत वर्ष में दाखिल किये गये नये मामलों तथा गत वर्ष में निबटाए गए मामलों के बारे में नवीनतम आंकड़े रख सकता हूं। १ जनवरी १९५४ को इलाहाबाद बेंच के सामने ३९५ और पटना बेंच के सामने ५८२ लम्बित मामले थे जब कि बम्बई में ३४२०, मद्रास में १२४१, कलकत्ते में ६९२ और दिल्ली में १७९९ लम्बित मामले थे। नये मामलों की संख्या बम्बई में ३४३४, मद्रास में २३३७, कलकत्ते में ८४७, दिल्ली में १७९९, इलाहाबाद में ७०१ और पटना में ७१३ थी। निबटाए जाने वाले मामलों की

औसत प्रतिमास संख्या बम्बई में २३३, मद्रास में २२६, कलकत्ते में १२०, दिल्ली में १३४, इलाहाबाद में ७९१ तथा पटना में ८० थी। यह विद्यमान स्थिति है। हमें आंकड़ों के अनुसार चलना चाहिये। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं स्थानीय तीव्र मनोभावना से परिचित हूं। लोगों की यह धारणा हो गई है कि जब एक बार किसी स्थान में बैंच स्थापित हो जाता है तब उस स्थान के लोगों को उस बेंच पर अधिकार सा प्राप्त हो जाता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि हम इस आधार पर काम नहीं कर सकते हैं और न हर स्थान के लोगों की भावनाओं को संतुष्ट कर सकते हैं।

श्री बंसल: क्या मैं अपने स्थानांतरित प्रश्न संख्या ८५९ के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैं देखता हूं कि वह १५ तारीख को रखा गया है। १५ तारीख को प्रश्न सूची में वह बिल्कुल अन्त में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस बात को अलग रूप से उठाना चाहिये, यहां नहीं।

शासकीय शुचिता

*८३०. **श्री दाभी**: क्या गृह-कार्य मंत्री ४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अधिकारी सन् १९५३ में, इस कारण कि वे ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध न थे, उन पदों पर नियुक्त नहीं किये गये थे जिनमें मनमानी करने की काफ़ी गंजाइश थी?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

श्री दाभी: क्या मैं यह समझूं कि सरकार का यह विचार नहीं है कि योजना आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार करना आवश्यक है तथा उस कथन का कोई आधार नहीं है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): प्रश्न यह था कि क्या हाल ही में ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध न होने के कारण कोई नियुक्ति या निर्नियुक्ति हुई है। इन दो सेवाओं में अर्थात् भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। यह तो बधाई देने का मामला है।

गवेषणा के लिये अनुदान

*८३१. **श्री राधा रमण**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५३-५४ के वर्ष में गवेषणा कार्य के लिये कितनी अखिल भारतीय संस्थाओं को अनुदान दिया गया है;

(ख) इन संस्थाओं के नाम क्या हैं; तथा

(ग) इन संस्थाओं में किन किन विषयों में गवेषणा होती है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क), (ख) तथा (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रखी जायेगी।

श्री राधा रमण : सूचना एकत्रित करने तथा उसे सदन पटल पर रखने में कितना समय लगेगा?

डा० एन० एम० दास: सभापति जी, माननीय सदस्य प्रश्न की व्यापकता को समझ सकते हैं। इसका संबंध केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों तथा देश में बहुत सी संस्थाओं से है। अब तक हम चार मंत्रालयों, अर्थात् वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय और शिक्षा

मंत्रालय, संबंधी सूचना एकत्रित कर पाये हैं। इसमें कुल ४९ मदें हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह सूचना एकत्रित कर रहे हैं।

श्री राधा रमण : क्या सूचना एकत्रित करने में शिक्षा मंत्रालय ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त अथवा आमन्त्रित भी कर रहा है ?

डा० एम० एम० दास : साधारणतया, वैत्तिक सहायता के लिये शिक्षा मंत्री को विभिन्न संस्थाओं से प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं।

विदेशी पूंजी

*८३२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में कितने उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) कितने धन की अनुमति दी गई ;

(ग) कितनी भारतीय फर्मों ने उन विदेशी फ़र्मों को स्वामिस्व या शुल्क दी जिन्होंने १९५३ में उन्हें प्रशिल्पिक जानकारी (नो-हाऊ) दी ;

(घ) इस प्रकार कितना धन दिया गया ; तथा

(ङ) किन किन उद्योगों को ऐसी प्रशिल्पिक सहायता प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). १९५३ में विदेशों को ४·२३ करोड़ रुपये के अंश जारी करने की अनुमति दी गई थी। इसमें २१ उद्योग सन्निहित थे।

(ग) तथा (ङ). अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) १९५३ में ४३·१७ लाख रुपये स्वामिस्व के भुगतान के लिये भेजे गये थे।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के खण्ड (ग) के प्रसंग में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन प्रशिल्पिक जानकारों को, जिनकी सेवायें १९५२ में प्राप्त की गईं थीं, स्वामिस्व के अतिरिक्त वेतन भी दिया गया था ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान् प्रश्न १९५३ के लिये है। १९५२ के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या १९५३ में इस प्रकार का कोई भुगतान किया भी गया था ?

श्री बी० आर० भगत : मैं पूर्व सूचना के लिये निवेदन करता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा प्रश्न एक सामान्य प्रश्न था कि क्या स्वामिस्व के अतिरिक्त वेतन भी दिया गया था। क्या विदेशी पूंजी प्राप्त करने में ईकाफ़े (एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग) से कोई सहायता मिलती है ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, ईकाफे का यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि भारत ईकाफे का सदस्य है। और ईकाफ़े विभिन्न देशों को अपने आर्थिक विकास के लिये विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देता है ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न का संबंध विदेशी विनियोग से है। जहां तक ईकाफे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों से प्राप्त होने वाली सहायता का संबंध है, इस पर विभिन्न नियम तथा उपनियम लागू होते हैं।

श्री बंसल: प्रश्न के खण्ड (क) का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि चार करोड़ से कुछ अधिक रुपयों की इस पूंजी में २१ उद्योग सन्निहित थे। क्या इन २१ उद्योगों में लगी पूंजी जिसके लिये अनुमति दी गई थी, पूर्णतया विदेशी थी अथवा कुछ विदेशी तथा कुछ भारतीय थी......

श्री बी० आर भगत: कुछ विदेशी तथा कुछ भारतीय थी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री माननीय सदस्य को अपना प्रश्न पूर्ण करने दें।

श्री बंसल: यदि यह पूर्णतया विदेशी न थी तो इन २१ उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग में भारतीय तथा विदेशी पूंजी का क्या प्रतिशत था ?

श्री बी० आर० भगत: सब मामलों में, अधिकार पूंजी-अंश भारतीय थे। हमारी सामान्य नीति यह है कि अधिकतर पूंजी-अंश भारतीयों के हों तथा केवल थोड़े से ही पूंजी-अंश विदेशियों के हों।

श्री वी० पी० नायर: खण्ड (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि ४·३ या इसके लगभग करोड़ रुपये विदेशियों द्वारा लगाने की अनुमति दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका के नागरिकों को कितनी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई थी, तथा ४·३ करोड़ रुपयों के अवशेष का कैसे विभाजन किया गया ?

श्री बी० आर भगत: हमारे पास देशानुसार आंकड़े नहीं हैं।

चोरी से लाये गये हीरे

*८६३. **श्री गिडवानी**: क्या वित्त मंत्री १४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन हीरों संबंधी जाच पड़ताल पूर्ण हो गई है जो चोरी से लाये गये थे और जिन्हें बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों ने पकड़ा था; तथा

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

हरिजन उद्धार

*८३४. **श्री नाना दास**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों के उद्धार के लिये आन्ध्र राज्य को अनुदान दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है, तथा यह कौन सी निधि से दिया गया है और कौन से मुख्य उद्देश्य के लिये दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). १९५३–५४ के वर्ष में अस्पृश्यता समाप्त करने की योजनाओं के लिये आन्ध्र राज्य की सरकार को आर्थिक सहायता देने के लिये ९६ हजार रुपये का अनुदान नियत किया गया। अभी तक राज्य सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। अत: अभी तक कोई धन नहीं दिया गया है।

श्री नानादास: क्या धन राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा अथवा गैरसरकारी एजेन्सियों द्वारा व्यय किया जायेगा, तथा यदि हां, तो गैर-सरकारी एजेन्सियों के नाम क्या हैं ?

श्री दातार : ये सारी राशियां इस सिफ़ारिश सहित राज्यों को दी जाती हैं कि जहां तक सम्भव हो वे गैर-सरकारी ऐजेंसियों द्वारा व्यय की जायें।

श्री रघुरामय्या : चालू वर्ष के लिये योजना कब तक प्रस्तुत की जायेगी तथा क्या इस वर्ष योजनायें प्रस्तुत करने का अब भी समय है ?

श्री दातार : इस वर्ष के नियतन से अनुदान प्राप्त करने के लिये केवल इस मास में योजनायें प्रस्तुत करनी हैं।

श्री नानादास : क्या सरकार को विदित है कि गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यय हुये धन का लेखा परीक्षण नहीं हो सकता है, यदि हां, तो क्या सरकार उनका परीक्षण केन्द्रीय संगठन द्वारा करायेगी ?

श्री दातार : सरकार ने एक शर्त रखी है कि उनका लेखा परीक्षण अवश्य होना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्ति : ९६,००० रुपये के इस नियतन की सूचना आन्ध्र सरकार को कब दी गई थी तथा आन्ध्र सरकार द्वारा ऐसे अनुदान से लाभ उठाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्री दातार : आंन्ध्र राज्य की स्थापना के तुरन्त पश्चात्, ३ लाख रुपये की मूल राशि तीन नियतनों में विभक्त कर दी गई। उनमें से एक मद्रास के लिये, एक आन्ध्र के लिये तथा तीसरा मैसूर के लिये, बैल्लारी के लिये था। आन्ध्र राज्य को सूचित किया गया था कि वे योजनायें समय पर प्रस्तुत करें। उन्हें कुछ पत्र भेजे गये थे, तथा पिछले सप्ताह में हमने एक तार भी भेजा था। इनके अतिरिक्त मैं ने एक पत्र व्यक्तिगत रूप में वहां के मंत्री महोदय को लिखा था कि वे योजनायें शीघ्र भेजें क्योंकि अन्यथा धन वापस ले लिया जायेगा।

मैसूर में साहित्य निर्माण कारखाना (लिटरेरी वर्कशाप)

*८६५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९५४ में मैसूर में एक "साहित्य-निर्माण कारखाना" स्थापित किया गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) २३ व्यक्तियों ने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया।

श्री डी० सी० शर्मा : यह निर्माण कारखाने का उद्देश्य क्या था तथा विभिन्न राज्यों से कितने व्यक्ति आये ?

डा० एम० एम० दास : यह निर्माण कारखाना पुस्तक लेखन में—मेरा अभिप्राय नवशिक्षितों के लिये लिखे जाने वाले साहित्य से है—साहित्यक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये संगठित किया गया था।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह नाम 'साहित्य निर्माण-कारखाना' भारतीय है अथवा किसी अन्य देश से लिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : ये कारखाने फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से भारत सरकार द्वारा संगठित किये जाते हैं। मैं यह नहीं जानता कि यह नाम फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दिये गये सुझावों से लिया गया है या नहीं।

श्री एम० एम० दास : क्या इन निर्माण कारखानों द्वारा बना बनाया साहित्य प्रकाशित होता है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: मैं अग्रेतर प्रश्न ले रहा हूं।

विशेष पुलिस विभाग

***८६६. श्री भागवत झा आजाद**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर १९५३ में (पृथक् पृथक्) भारत सरकार के विशेष पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया; तथा

(ख) कितने मामलों में दोष सिद्धि हुई ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):

(क)	अक्टूबर १९५३	२१
	नवम्बर १९५३	२१
	दिसम्बर १९५३	२९

(ख) अभी तक न्यायालयों ने किसी भी मामले पर निर्णय नहीं दिया है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें विशेष पुलिस विभाग ने अभियोग चलाने की सिफ़ारिश की थी परन्तु गृह मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी ?

श्री दातार: ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं।

श्री नानादास : क्या विशेष पुलिस विभाग काम पर काबू नहीं कर पाता है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विभाग का विस्तार करने का है ?

श्री दातार : वे काम पर काबू कर रहे हैं तथा इसी विषय पर एक और प्रश्न है।

हैदराबाद में हाली चलार्थ

***८६७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक हैदराबाद राज्य में कुल कितना हाली चलार्थ वापस लिया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): २६ दिसम्बर १९५३ तक कुल उस्मानिया सिक्का २४·८४ करोड़ रुपये का हाली सिक्का चलार्थ वापस लिया गया।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: अब हैदराबाद में कुल कितना हाली सिक्का चलार्थ चल रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा: इस चलार्थ के लगभग २४·३० करोड़ रुपये का पत्र-चलार्थ तथा लगभग ५४ लाख रुपये के सिक्के चल रहे हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या हैदराबाद में चलाने के लिये अब भी हाली सिक्का चलार्थ के विभिन्न मूल्य के नोट तथा सिक्के बनाये जा रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: केवल छोटे छोटे सिक्के बनाये जा रहे हैं--आठ आने के सिक्के या उससे कम के।

श्री मुहीउद्दीन: क्या यह सच है कि चलार्थ वापस लेने के उपरान्त, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, कृषि उत्पादनों के थोक मूल्य अब भी बाज़ारों में हैदराबाद चलार्थ में बताये जाते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: हैदराबाद चलार्थ भी विधिमान्य है। दोनों भारतीय तथा हैदराबादी चलार्थ वैधानिक चलार्थ है। अत: थोक मूल्य हैदराबादी चलार्थ में बताया जा सकता है।

फिल्मों का आयात और निर्यात

***८६९. श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में भारत को विदेशी फिल्मों के आयात के लिये कितना धन देना पड़ा; और

(ख) १९५३ में जो भारतीय फिल्में विदेशों को भेजी गईं उनके लिये भारत को कितना धन मिला ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) १९५३ में, विदेशी फिल्मों के किराये के रूप में ३८·७० लाख रुपये विदेशों को भेजे गये ।

(ख) भारत को उन भारतीय फिल्मों के किराये के रूप में, जो विदेशों को भेजी गई थीं, ८·२७ लाख रुपये प्राप्त हुये । परन्तु इससे पूर्ण स्थिति का पता नहीं लगता है क्योंकि यदि आने वाला धन २०,००० रुपयों से कम हो तो रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया को उस की सूचना नहीं दी जाती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : जो भी फिल्में अमरीका से हिन्दुस्तान में आई हैं, उनके वास्ते कितना रुपया दिया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : इसके लिये ३८·६७ लाख रुपये दिये गये हैं ।

श्री मुनिस्वामी : पाकिस्तान को कितनी फिल्में भेजी गई तथा कितना धन अर्जित हुआ था ?

श्री बी० आर० भगत : मैं फिल्मों की संख्या नहीं बता सकता हूं । इसके लिये वह सूचना तथा प्रसार मंत्रालय को लिख सकते हैं । जहां तक पाकिस्तान से आये धन का संबंध है, यह ६.८० लाख रुपया है ।

श्री जोकीम आल्वा : इस काल में जिसके लिय सरकार ने सिनेमा फिल्मों के आयात के लिये सीमा-शुल्कों से लगभग ५० लाख रुपये का राजस्व दे दिया हू, उस काल में विदेशों को कोई भारतीय फिल्म नहीं भेजी गई है । क्या उनका विचार आने वाली अमरीकी फिल्मों की अति अधिक संख्या में कमी करने का है, मुख्य-कर उन फिल्मों की संख्या में जिनमें अश्लील प्रेम तथा मार काट का प्रदर्शन होता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

त्रावणकोर-कोचीन में मंत्रियों की यात्रायें

*८७०. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कि कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने जनवरी व फरवरी १९५४ में त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में कुछ निर्वाचन सभाओं में भाषण दिय थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी यात्रायें शासकीय थीं या अशासकीय ; और

(ग) जनवरी तथा फरवरी १९५३ तथा १९५४ में पृथक् पृथक् किन किन मंत्रियों ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य की यात्रा की ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). फरवरी १९५४ में प्रधान मंत्री अखिल भारतीय कांग्रस के अध्यक्ष के रूप में त्रावणकोर-कोचीन गये तथा वहां उन्होंने निर्वाचन सभाओं में भाषण दिये । यद्यपि अपनी यात्रा के समय में उन्होंने कुछ शासकीय काम भी किया था परन्तु यह यात्रा पूर्णतया अशासकीय थी । यात्रा का व्यय गैर सरकारी सूत्रों से किया गया था ।

रेल तथा यातायात मंत्री १९५३ के अन्त में त्रावनकोर-कोचीन गये थे तथा वहां उन्होंने कुछ सभाओं में भाषण दिये थे । उनकी यात्रा भी अशासकीय थी ।

(ग) जनवरी-फरवरी १९५३ में निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री और श्रम उपमंत्री शासकीय कार्य से त्रावणकोर-कोचीन गये थे । उस समय निर्वाचन-सभाओं

में भाषण देने का कोई प्रश्न ही न था, तथा उन्होंने वास्तव में किसी सभा में भाषण नहीं दिया ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री जनवरी, १९५४ में अपने सरकारी काम से त्रावनकोर-कोचीन गये थे । उनकी यात्रा का निश्चय कुछ मास पूर्व हो चुका था । उन्होंने किसी निर्वाचन-सभा में भाषण नहीं दिया ।

श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या केन्द्रीय सरकार के इतने मंत्रियों ने, १ १/२ मास के ऐसे छोट काल में, पहिले किसी अन्य राज्य की यात्रा की थी, अर्थात् १९५२ में ?

श्री दातार : अन्य अवसरों पर भी ऐसी यात्रायें हो सकती हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्य यह सच नहीं है कि विशेष पुलिस तथा गुप्त वार्ता विभाग के बहुत से अधिकारियों ने त्रावनकोर-कोचीन की यात्रा की थी ? क्या भारत की यह पद्धति है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जाये तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को भेजे ?

श्री दातार : श्रीमान्, इस प्रश्न का हमारे समक्ष जो प्रश्न है उससे कोई संबंध नहीं है । परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह बता सकता हूं कि जब कभी प्रधान मंत्री यात्रा पर जाते हैं, उस समय स्वभावत: कुछ संरक्षण-प्रबंध करने पड़ते हैं ।

श्री ए० पी० सिन्हा : क्या किसी विशेष समय में केन्द्रीय मंत्रियों के त्रावनकोर-कोचीन जाने पर कोई प्रतिबंध था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वी० पी० नायर : प्रधान मंत्री की त्रावनकोर-कोचीन यात्रा के संबंध में जो प्रबंध किये गये थे उन पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या भारत सरकार को विदित है त्रावनकोर-कोचीन सरकार को प्लेटफार्म तथा अवरोध बनाने के लिये ताकि लोग अलग रहें, लाखों रुपये व्यय करन पड़ते हैं ?

श्री दातार : श्रीमान् सरकार को इसका पता नहीं है ।

श्री रघु रामय्या : इस प्रश्न की दृष्टि से कि केन्द्रीय सरकार के इतने मंत्रियों ने इस राज्य की यात्रा क्यों की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बहुत से अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी बिगड़ी हुई परिस्थितियों से लाभ उठाने नहीं गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अग्रतर प्रश्न ।

उत्कल विश्वविद्यालय

***८७२. श्री संगण्णा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) में भूतत्व-शास्त्र का एक पोस्ट-ग्रेजुएट विभाग खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). विश्वविद्यालय ने १९५० में एक प्रस्ताव किया था और मार्च १९५१ में उसे इस योजना का कुछ खर्चा पूरा करने के लिये २.४५ लाख रुपये का अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था ।

श्री संगण्णा : योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास : नवीनतम सूचना के अनुसार, इमारत बनाने का काम चल रहा है ।

श्री संगण्णा : भारत सरकार इस योजना के लिये कितना रुपया देने का विचार करती है ?

डा० एम० एम० दास : भारत सरकार ने इमारत बनाने और सामान आदि के लिये २,४५,००० रुपये देना मंजूर किया है बशर्तेकि इतनी ही राशि कलिंग प्रतिष्ठान प्रन्यास द्वारा भी दी जाये । इस समय केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिये कोई और राशि देने का विचार नहीं करती ।

स्टनोग्राफ़र

***८७३. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में जो स्टेनोग्राफर, उन कार्यालयों के अधीनस्थ तथा सचिवालय से संबद्ध कार्यालयों में वर्गीकृत किये जाने के बाद, रह गये हैं, उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन आदि के बारे में कोई व्यवस्थित नियम नहीं हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि अधीनस्थ कार्यालयों में जो स्टेनोग्राफर हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता ?

(ग) क्या यह सच है कि कुछ स्टेनोग्राफ़रों के परिणामों को, जिन्हें परीक्षा में बैठने दिया गया था, रोक लिया गया था क्योंकि उन कार्यालयों को अब अधीनस्थ कार्यालय घोषित कर दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में जो स्टेनोग्राफ़र हैं उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन के बारे में नियम मौजूद हैं, हां, यह हो सकता है कि ये नियम ऐसे सारे कार्यालयों में एक से न हों ।

(ख) भारत सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्त किसी अधिकारी को अन्य पद या नौकरी के लिये, उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति के बिना, परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता । इस पाबन्दी के अलावा, अधीनस्थ कार्यालयों के स्टेनोग्राफ़रों को संघ लोक सेवा आयोग की उन परीक्षाओं में, जो किसी खास विभाग या कार्यालय के अधिकारियों के लिये सीमित न हों, बैठने देने के लिये कोई रुकावट नहीं है, बशर्ते कि वे तत्संबंधी नियमों में निर्धारित सारी योग्यतायें रखते हों ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की योग्यता अथवा निर्योग्यता पूरी तरह से आयोग द्वारा ही निश्चित की जाती है । परन्तु संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार को सूचित कर दिया है कि स्टेनोग्राफ़रों की परीक्षा के लिये कुछ उम्मीदवारों को, जिन्हें संबंधित कार्यालयों के स्तर निश्चित किये जाने तक अस्थायी रूप से योग्य मान लिया गया था और परीक्षा में बैठने दिया गया था, बाद में उनके कार्यालय अधीनस्थ कार्यालयों की श्रेणी में रख दिये जाने पर निर्योग्य घोषित कर दिया गया ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : जो स्टेनोग्राफ़र केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में रह गये हैं, उनको पदोन्नति के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ।

श्री दातार : अधीनस्थ कार्यालयों, सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में पदोन्नति के बारे में अलग अलग नियम हैं । इन नियमों में स्टेनोग्राफ़रों के हितों की उचित रूप से सुरक्षा की गई है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या कोई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें किसी उम्मीदवार

को, जिस ने परीक्षा पास कर ली हो, संबंधित विभाग ने नहीं जाने दिया हो ?

श्री दातार : कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जिनमें किसी खास व्यक्ति की सेवायें संबंधित कार्यालय के लिये ज़रूरी समझी जाती हैं।

श्री एस० डी० रामस्वामी : क्या स्टेनोग्राफ़रों की इस श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये कोई स्थान रक्षित रखे जाते हैं ?

श्री दातार : अनुसूचित जातियों के लिये सारी नौकरियों में, जिनमें स्टेनोग्राफ़र भी शामिल हैं, रक्षित पद रखे जाते हैं।

ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां

*८७५. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५२ को भारत में प्राइवेट और पब्लिक जॉइंट स्टॉक कम्पनियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) उनकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी थी ; तथा

(ग) १९५२-५३ व १९५३-५४ में अलग अलग कितनी पब्लिक और प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कम्पनियां पंजीबद्ध हुईं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) से (ग). सरकार को जितनी सूचना मिल सकी है उसका एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३**]

श्री मुरारका : २९,२४२ कम्पनियों में से, कितनी पब्लिक कम्पनियां हैं और कितनी प्राइवेट कम्पनियां ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास वर्षवार आकड़ें हैं यदि माननीय सदस्य इन्हें जानना चाहते हैं, तो १९४७-४८ में.....

अध्यक्ष महोदय : आप एक विवरण दे दें तो अच्छा होगा।

श्री एम० सी० शाह : अच्छी बात है, मैं विवरण दे दूंगा।

श्री मुरारका : इन पब्लिक कम्पनियों में से, कितनी कम्पनियों के अपने मैनेजिंग एजेन्ट हैं ?

श्री एम० सी० शाह : प्रत्येक पब्लिक कम्पनी में, या तो मैनेजिंग एजेन्ट होते हैं या एक मैनेजिंग डाइरैक्टर। मेरे पास इसकी अलग अलग सूचना है। परन्तु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में से बहुत सी मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनियां हैं।

श्री के० के० बसु : कितनी पब्लिक कम्पनियों की मैनेजिंग एजेन्सियां अथवा स्वामित्व विदेशियों के हाथ में हैं ?

श्री एम० सी० शाह : पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का या तो मैनेजिंग डाइरेक्टर होना ज़रूरी है या मैनेजिंग एजेन्सी होना। मेरे पास इसके बारे में अलग अलग सूचना नहीं है। इसका पता लगाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। यदि माननीय सदस्य इसे चाहते हैं, तो मैं पता लगा दूंगा।

श्री बंसल : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर का निर्देश करते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि १९५२-५३ व १९५३-५४ में जितनी कम्पनियां पंजीबद्ध की गई थीं उनमें से कितनी औद्योगिक कम्पनियां थीं और उनकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी थी ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह सूचना नहीं है ; मेरे पास केवल यह जानकारी है कि इन वर्षों में पंजीबद्ध की गई पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की संख्या क्या है। ये औद्योगिक कम्पनियां हैं अथवा नहीं, इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री मुरारका : इस कालावधि में, कितनी कम्पनियों का दिवाला निकला है और कितनी का पंजी में से नाम काटा गया है ?

श्री एम० सी० शाह : यह सूचना तो आपको बेलेटिनों से आसानी से मिल सकती है ।

हैदराबाद को ऋण तथा अनुदान

*८७६. **श्री माधव रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब से हैदराबाद राज्य अन्तिम रूप से भारत में मिला है, तब से उसे (१) ब्याज सहित ऋणों, (२) ब्याज रहित ऋणों, तथा (३) सहायक अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; तथा

(ख) क्या इन ऋणों के चुकाने के सबंध में हैदराबाद राज्य से कोई राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १९५२-५३ के अन्त तक निम्नलिखित राशियां दी गई हैं :

(१) ८६७ लाख रुपये ;

(२) २८ लाख रुपये ; तथा

(३) ३०६ लाख रुपये (इसमें १९५२-५३ के केन्द्रीय विभाज्य करों का भाग शामिल नहीं है) ।

(ख) जी हां । १९५१-५२ में ४.३६ लाख रुपये लौटाये गये थे और १९५२-५३ में ४.४९ लाख रुपय ।

श्री माधव रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संघ वित्तीय संविलयन से हैदराबाद को भारी हानि हुई है, क्या उस को दिये गये ऋण का कुछ भाग छोड़ देने का विचार है और क्या राज्य सरकार ने इस के लिए कोई प्रार्थना की थी ?

श्री बी० आर० भगत : ऋण का कुछ भाग छोड़ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई किसी प्रार्थना का तो हमें पता नहीं । वह तो ऋण चुकाने के लिए निश्चित की गई किश्तें दे रहे हैं ।

श्री माधव रेड्डी : केन्द्रीय सरकार ने निज़ाम से कितनी राशि का ऋण लिया है ? क्या यह सच है कि निज़ाम से लिया गया ऋण राज्य सरकार को दी गई राशि से बहुत अधिक है ?

श्री बी० आर० भगत : निज़ाम ने कोई ऋण नहीं लिया ।

कुछ माननीय सदस्य : निज़ाम ने नहीं, निज़ाम से लिया गया ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य नया प्रश्न रखें तो मैं जानकारी दूंगा ।

विशेष पुलिस विभाग

*८७८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार विशेष पुलिस विभाग का पुनर्संघटन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस पुनर्संघटन का क्या रूप होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) इस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस पुनर्संघटन से खर्च में बचत होगी ?

श्री दातार : इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी और बचत भी अवश्य होगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस विभाग के काम के सम्बंध में बहुत शिकायतें हैं, इस सारे काम की जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है, मेरा विचार है कि मुझे प्रश्नों के सम्बंध में नियमों को ज़रा सख्ती से लागू करना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि इस प्रश्न की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी ? क्या इस समिति ने कुछ सिपारिशें की थीं ?

श्री दातार : भ्रष्टाचार के अपराधों के सम्बंध में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी । उसकी सिपारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है ।

श्री नानादास : क्या आंध्र में कोई विशेष पुलिस विभाग कार्य कर रहा है ?

श्री दातार : हमारे पास कई शाखाएं हैं और एक मद्रास में है । यह सारे दक्षिणी राज्यों की देख भाल करता है ।

१९५३-५५ में लौटाया जाने वाला ऋण

*८७९. **श्री के० सी० सोधियया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५५ में लौटाये जाने वाले ३ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण का भुगतान हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस में से कितने का भुगतान बाकी है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख) १·७२ करोड़ की राशि के सिवाय ११४·६१ करोड़ के सारे ऋण का भुगतान हो चुका है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह ऋण कब लिया गया था ।

श्री बी० आर० भगत : यह १९५३-५५ का ऋण है ।

अध्यक्ष महोदय : इस का भुगतान १९५३-५५ में होना था । यह लिया कब गया था ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । इस के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री के० सी सोधिया : इस ऋण का कुछ भाग अभी तक न लौटाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जिस भाग का भुगतान अभी नहीं हुआ है वह अंशतः उन प्रतिभूतियों के रूप में है जिन पर लिखा है कि वे पाकिस्तान में चुकाई जायेंगी, और अशंतः ऐसा है जिस के स्वामी भुगतान के लिये नहीं आये ।

श्री के० सी० सोधिया : कितना भाग नगद दिया गया और कितने को नये ऋण के रूप में परिवर्तित किया गया ?

श्री बी० आर० भगत : ५१.८७ करोड़ रुपये को नये ऋण में परिवर्तित किया गया और शेष का नगद भुगतान किया गया ।

नागार्जुनकोंडा में खुदाई

*८८०. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य के गंटूर ज़िला में नागार्जुनकोंडा की खुदाई कब तक पूरी हो जायेगी ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): सरकार इस विषय पर अभी विचार कर रही है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या पुरातत्व सम्बंधी दल ने जो हाल में ही अर्थात् गत

फरवरी में श्री घोष के नेतृत्व में नागार्जुनकोंडा गया था, नागार्जुनकोंडा घाटी में किये जाने वाले खुदाई के कार्य के प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

डा० एम० एन० दास : नागार्जुकोंडा के पुरातत्वों की खुदाई १९२७ में आरम्भ की गई थी और खुदाई का यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि यदि नंदीकोंडा नदी घीटी परियोजना का बंध बनाया गया तो यह सारा स्थान पानी के नीचे आ जायेगा। इस लिये केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या किया जाए।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, इस सम्बन्ध में हाल में ही कुछ प्रश्न पूछे गये थे।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : नहीं श्रीमान्। यह नई जगह है।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस के बारे में कई मरतबा सवाल हो चुके हैं और जवाब दिये जा चुके हैं।

श्री सी० आर० चौधरी : अभी और कितने स्थानों की खुदाई की जानी है ?

डा० एम० एम० दास : अब मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री सी० आर० चौधरी : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

*८८१. **श्री आर० सी० शर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य भारत में ३१ दिसम्बर, १९५३ को तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क की कितनी राशि शेष थी ;

(ख) प्रत्येक वर्ष की शेष राशि के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या यह शेष राशि प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां तो क्या ; और

(ङ) जो किसान यह शुल्क नहीं दे सके उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भाग (क) से (ङ) तक अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी।

सामाजिक शिक्षा पाठ्यक्रम

*८८२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में भारत में कितने व्यक्तियों ने सामाजिक शिक्षा पाठ्यक्रम पास किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १९४७-५१ वर्षों के लिए जानकारी शिक्षा मंत्रालय को प्रकाशन सं० १४२ में प्राप्य है, जिस की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रखी गई है। बाद के वर्षों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस समाज शिक्षा के पाठ्यक्रम का सम्बंध है क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि यह पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न प्रकार का है, तो क्या इस में कोई एकीकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक सामाजिक शिक्षा का सम्बंध है केंन्द्रीय सरकार ने यह कार्य किया है कि उन्होंने राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन किया है, उ वित्तीय सहायता दी है, और उन में एकसूत्र

स्थापित की है । राज्य सरकारें स्वयं योजना को कार्यान्वित करती हैं ।

श्री तिम्मय्या : कितनी संस्थाएं सामाजिक शिक्षा देती हैं और वे किन स्थानों पर हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

आयकर अपीलें

*८८३. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मुजफ्फरपुर, पटना तथा रांची में अपीलीय सहायक आय-कर आयुक्तों के कार्यालयों में से प्रत्येक में इस समय कितनी अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ख) क्या रांची का कार्यालय बन्द करने का कोई विचार है ; तथा

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) ८७५,६४० तथा ८६२ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अस्पृश्यता

*८८४. **श्री गणपति राम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अस्पृश्यता का निवारण करने के लिये प्रत्येक राज्य को १९५३-५४ के लिये बांटी गई राशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज़ (पिछड़े वर्ग) लीग, शिड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जाति) फेडरेशन तथा हरिजन सेवक संघ को कुछ राशि दी गई है; तथा

(घ) प्रत्येक राज्य में हरिजनों तथा आदिवासियों में काम करने वाली संस्थाओं को किस प्रकार यह राशि दी जायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) एक विवरण, जिस में निर्धारित अधिकतम राशियों तथा मंजूर की गई राशियों का उल्लेख किया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४] ।

शेष राशियां वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले तब दी जायेंगी जब कि राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं पर किये गये वास्तविक व्यय आदि का ब्योरा प्राप्त हो जाये । इस ब्योरे में राज्य सरकारों की अपनी निधि में से किया गया व्यय भी सम्मिलित होगा ।

(ग) जी हां । एक विवरण, जिस में मंजूर की गई राशियां दी गई हैं, सदन-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]

(घ) यह मामला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ा गया है । परन्तु उन को यह परामर्श दिया गया है कि राज्य में जहां भी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अभिकरण हों वहां उन से सहायता ली जाये ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने अस्पृश्यता निवारणार्थ अपनी स्कीमें भेजी हैं कि किन किन मदों में रुपया खर्च होगा ?

श्री दातार : इसका उस विवरण से पता चलेगा जिस में मंजूर की गई राशियां बताई गई हैं ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि नान आफ़िशियल (गैर सरकारी)

संस्थाओं के न रहने पर राज्य सरकारों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपनी इच्छानुसार रुपया खर्च करें ?

श्री दातार : जी हां, वह खर्च कर सकते हैं।

श्री वेलायुधन : प्रश्न के भाग (ग) के बारे में मैं जान सकता हूं कि क्या मंजूर की गई राशियां केन्द्र सरकार द्वारा सीधे इन संस्थाओं को दी गई हैं ; क्या सरकार ने यह जांच की है कि इन संस्थाओं में इन राशियों का कैसे उपयोग किया है ?

श्री दातार : दो या तीन संस्थाओं को केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष अनुदान दिये जाने के लिये मान्यता दी गई । जांच• की जाती है, उनकी योजनाओं का परीक्षण भी किया जाता है और फिर अनुदान मंजूर किये जाते हैं।

श्री तिम्मय्या : सरकार ने इस बात की देख रेख के लिये कि संस्थायें इन अनुदानों का राजनैतिक प्रचार के लिये उपयोग तो नहीं करती हैं क्या व्यवस्था की है ?

श्री दातार : हम ने यह एक शर्त रखी है कि वह कोई प्रचार न करें और इस लिये हम धन राशि किश्तों में देते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि यह राशियां कैसे खर्च की जाती ह ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सारे राज्यों ने इस योजना से लाभ उठाया है या कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी योजनायें नहीं भेजी हैं ?

श्री दातार : दुर्भाग्यवश आन्ध्र राज्य ही एक है जिस ने कोई योजना नहीं भेजी है ।

चोरी छिपे माल लाना ले जाना

***८८५. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ तथा १९५३ के वर्षों में चोरी छिपे लाई ले जाई जाने वाली कितनी चांदी ज़ब्त कर ली गई है ?

(ख) उक्त दो वर्षों में चोरी छिपे लाये ले जाने वाले सोने तथा चांदी की कितनी कितनी मात्रा भारत के रक्षित बैंक द्वारा बाज़ार में बेची गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५२ तथा १९५३ के वर्षों में जो चोरी छिपे ले जाई जाने वाली चांदी ज़ब्त कर ली गई है उसके आंकड़े यह हैं :

वर्ष	मात्रा
१९५२	२,९७,९३२ तोले
१९५३	१,६३,४६५ तोले

(ख) उक्त दो वर्षों में भारत के रक्षित बैंक ने कोई ऐसा सोना या चांदी बाज़ार में नहीं बेची है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या ऐसे कुछ मामले हुये हैं जिन में ज़ब्त की गई चांदी वापस कर ली गई है, यदि हां, तो इस प्रकार कितनी चांदी वापस कर ली गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : ज़ब्त की गई वस्तुएं वापस करने के सम्बन्ध में विशिष्ट नियम हैं । कोई चांदी अथवा अन्य ज़ब्त की गई वस्तुएं स्वामियों को वापस नहीं की जातीं जब तक कि वह सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को अपनी सद्भावना का विश्वास न दिलायें अथवा जुर्माना न दें या बराबर के दाम न दें ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी ज़ब्त की गई चांदी वापस कर ली गई थी ?

श्री रघुरामय्या : मैं जान कसता हूं कि किस क्षेत्र में अधिकतम मात्रा में चांदी तथा सोना चोरी छिपे लाया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकतर फ़ारस की खाड़ी से और कभी कभी पाल नैतथा तिब्बत की तरफ से और किसी किसी समय विदेशी बस्तियों से ।

श्री के० के० बसू : मैं जान सकता हूं कितने मामलों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुऐं ज़ब्त किये जाने का न्यायालयों में अथवा विभागीय रूप से विरोध किया गया ?

श्री ए० सी० गुहा : किसने विरोध किया ? चोरी छिपे माल लाने वालों ने क्या ?

श्री के० के० बसू : चोरी छिपे माल लाने वालों ने ।

अध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते ह कि कितने मामलों में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि माल लाने वालों द्वारा विरोध करने का प्रयत्न है, ऐसा तो मेरे विचार में प्रत्येक मामले में होता है ।

श्री पी० सी० बोस : भारत में और भारत के बाहर के सोने के दामों में इतना क्या अन्तर है जो कि तस्कर व्यापारी भारत में चोरी छिपे सोना लाने की लाभप्रद समझते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

अनसन्धान के लिये छात्रवृत्तियां

*८८६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में मानवता सम्बन्धी शास्त्रों में अनुसन्धान के लिये जो छात्रवृत्तियां दी गईं उन में से संस्कृत तथा हिन्दी विभागों के लिये कितनी थीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : तीन छात्रवृत्तियां हिन्दी सम्बन्धी अनुसंधान के लिये और तीन संस्कृत के लिये दी गई थीं । मैं साथ ही यह भी बता दूं कि भारत की विभिन्न भाषाओं सम्बन्धी अनुसंधान के लिये कुल ९ छात्रवृत्तियां दी गईं । इन ९ में से तीन संस्कृत और तीन हिन्दी के लिये दी गईं ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो छात्रवृत्तियां दी गई हैं वह किस किस राज्य के विद्यार्थियों की दी गई हैं ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान् । छात्रवृत्तियों के लिये चुनाव केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया गया था राज्य के आधार पर नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक मेरिट का सवाल है, ज्ञान का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं किस की सिफारिशों पर सरकार ने ध्यान दिया है

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : यूनिवर्सिटियों के ज़रिये दरख्वास्तें मंगवाई गईं थीं और एक कमेटी सिलेक्शन करने के लिये बिठाई गई थी । इस कमेटी के फैसले के मुताबिक़ स्कालशिर्प दिये गये ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि संस्कृत अथवा हिन्दी संबंधी अनुसधामात्मक अध्ययन में कौन पथ प्रदर्शन करेगा ?

डा० एम० एम० दास : बहुत से विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध शिक्षक (प्रोफसर)

हैं जिनके पथ प्रदर्शन में अनुसंधान किये जायेंगे।

ग्राम उधार सर्वेक्षण

*८८७. **श्री एस० एन० दास** : क्या वित्त मंत्री १९ फरवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा यह बतायेंगे कि क्या भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिससे अखिल भारतीय आधार पर ग्राम उधार सर्वेक्षण की योजना बनाने और इस का संगठन करने के लिये कहा गया था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : जी नहीं। आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर में यह कहा गया था कि रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी और अब फिर वही उत्तर दिया जा रहा है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकारी भाषा में इन शब्दों का क्या अर्थ होता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में हमने जो आशा लगा रखी थी वह कुछ ठीक नहीं रही । हमें कमेटी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि रिपोर्ट उसे ही देनी है। वह कमेटी रिजर्व बैंक के अन्तर्गत काम करती है । मैं सदस्य को केवल इतना ही बतला सकता हूं कि वह रिपोर्ट कितनी व्यापक होगी। इसका सम्बन्ध सारे भारत से है तथा कमेटी ने ७५ ज़िलों में से ६०० गांवों को चुना है तथा मेरे विचार में उन्हें ३० या ३३ आर्थिक प्रदेशों में बांटा है। अब सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है तथा रिपोर्ट लिखी जा रही है।

श्री एस० एन० दास : विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने किसी समय कमेटी से शीघ्र ही रिपोर्ट देने के लिये कहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : हम ने य बात रिज़र्व बैंक से वह कह दी है। जब मैं बम्बई गया था तो मैं ने रिज़र्व बैंक के गवर्नर से कहा था कि यह रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र दी जानी चाहिये। रिजर्व बैंक भी यह समझता है कि इसके शीघ्र ही दिये जाने का क्या महत्व है।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस

*८८८. **श्री बंसल** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय रक्षित पुलिस में कितने गज़टेड और नान-गज़टेड अधिकारी तथा कर्मचारी हैं ; तथा

(ख) इस समय गज़टेड श्रेणी में कितने स्थान खाली हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) गज़टेड अधिकारी १९, नान-गज़टेड अधिकारी तथा कर्मचारी २२४५।

(ख) एक।

श्री बंसल : क्या केन्द्रीय रक्षित पुलिस को स्थायी केन्द्रीय रक्षित पुलिस में बदलने का विचार है ?

डा० काटजू : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह पुलिस देश की बहुत ही क्रियाकारी सेवा कर रही है।

श्री बंसल : क्या यह सच है कि वहां पर पांच वर्ष से अधिकारी काम कर रहे हैं और अब भी वे अस्थायी ही हैं ?

श्री फ्रैंक एंथनी : इससे उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति :

डा० काटजू : मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मंत्री जी को मालूम है कि अस्थायी सेवा में अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ?

डा० कटजू : मेरे माननीय मित्र ने मुझे एक बड़ी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में तर्क करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नानादास : केन्द्रीय रक्षित पुलिस मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भर्ती करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० काटजू : क्या मेरे माननीय मित्र मुझ एक प्रश्न की पूर्व सूचना देने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीय छात्र सेना पब्लिक स्कूल कम्प

*८८९. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय छात्र सेना की जूनियर डिवीजन सेना के लिये २० से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक पूना में एक संयुक्त पब्लिक स्कूल वार्षिक कैम्प का आयोजन किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो कितने छात्रों ने कैम्प में भाग लिया ?

(ग) क्या छात्रों को समुद्र का भी कोई अनुभव कराया गया ?

(घ) इस कैम्प की विशेषताएं क्या थीं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) ७७९ छात्र सैनिकों ने भाग लिया था ।

(ग) जी हां । नौसैनिक विंग के छात्र सैनिकों को बम्बई ले जाया था वहां से वे आई० एन० एस० रंजी.. में सैर को भी गये थे ।

(घ) यह एक विशेष वार्षिक कैम्प था जिसमें केवल मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में बनाई गई जूनियर डिवीजन सेना के छात्र सैनिकों ने ही भाग लिया था।

श्री डी० सी० शर्मा : साधारण स्कूलों से अलग इन पब्लिक स्कूलों के लिये एक विशेष कैम्प क्यों किया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में जरा कुछ भिन्न सा प्रबन्ध करना होता है । राज्य सरकारें इन कैम्पों पर होने वाले व्यय का कोई भाग सहन नहीं करती । यह व्यय कुछ तो आंशिक रूप में स्वयं छात्र सैनिक या सम्बन्धित स्कूल सहन करते हैं और कुछ आंशिक रूप में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय । प्रशासनीय रूप से उनको एक साथ रखना भी सुविधाजनक होता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार की नीति यह नहीं है कि पब्लिक स्कूलों और साधारण स्कूलों के बीच इस प्रकार की असमानता को दूर किया जाये ?

श्री सतीश चन्द्र : कोई असमानता नहीं है । कैम्प एक ही प्रकार के होते हैं । क्योंकि इस मामले में व्यय राज्य सरकारों की बजाय शिक्षा मंत्रालय सहन करता है इसलिये उन्हें एक साथ रख दिया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : राष्ट्रीय छात्र सेना या अन्य कैम्प वाले जिस प्रकार की

सामाजिक सेवा करते हैं क्या इन छात्रों ने भी वैसी कोई सेवा की ?

श्री सतीश चन्द्र : सामाजिक सेवा केवल इस वर्ष जारी की गई है । मेरे विचार में माननीय सदस्य का अभिप्राय शारीरिक श्रम से है जो कि इस वर्ष से आरम्भ किया गया है । यह कैम्प पूना छावनी में किया गया था और वहां पर इस प्रकार के कार्य के लिये कोई गुंजाइश नहीं थी । आगामी वर्षों में उन्हें भी अन्य छात्र सैनिकों के समान ही सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी ।

हैदराबाद में पाकिस्तानी दर्शक

*८९१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि हैदराबाद में पाकिस्तान दर्शकों की क्या गतिविधियां हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सरकार के पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं पहुंची है कि हैदराबाद में पाकिस्तानी दर्शकों की असाधारण गतिविधियां रही हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इन में से कई पाकिस्तानी दर्शक पाकिस्तानी वापिस नहीं जाना चाहते, और उन्होने भारत में ही बसाये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ; और क्या भारत सरकार ने सहमति प्रगट की है ?

श्री दातार : उन में से कई एक यहां अधिक समय तक रहना चाहते थे और कई दर्शकों ने स्थायी रूप से यही बसने के सम्बन्ध में प्रोर्थना-पत्र भेजे हैं । प्रार्थियों के गुणावगुण के आधार पर इन प्रार्थना-पत्रों को निपटाया जाता है ।

श्री रघुरामय्या : माननीय मंत्री ने दर्शकों की असाधारण गतिविधियों के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की है । मैं जानना चाहता हूं कि असाधारण गतिविधियां क्या होती हैं ।

श्री दातार : वे गतिविधियां जो भारत के हित में न हों, असाधारण कहलाती हैं ।

बिहार में राज्य वित्त निगम

*८९२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री १ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उतर की ओर निर्देश करते हुये यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य की प्रस्थापना के अनुसार राज्य वित्त निगम की स्थापना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि किया है, तो बिहार सरकार द्वारा पेश की गई प्रस्थापनाओं का क्या स्वरूप था ; और

(ग) शेयर (अंश) तथा गारंटी (प्रत्याभूति) के आवंटन के सम्बन्ध में इस योजना के जिस स्वरूप को अनुमोदन प्राप्त हुआ है, वह क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत राज्य वित्त निगम की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । शेयरों की संख्या, उनके वितरण और लाभांश की न्यूनतम निर्धारित करने के लिये इस अनुमोदन की आवश्यकता है । अभी तक इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की अंतिम प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ? ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री एम० एम० दास : क्या बिहार सरकार ने अपनी प्रस्थापनाओं को अंतिम रूप देने से पहले बिहार राज्य के साथ परामर्श किया था, और यदि किया था, तो कब ?

श्री ए० सी० गुहा : बिहार सरकार ने मूल रूप में प्रस्थापना भेजी थी। केन्द्रीय सरकार ने रिज़र्व बैंक से परामर्श किया और रिज़र्व बैंक ने इस प्रस्थापना में कुछ एक रूपभेद करने का सुझाव दिया। अभी तक बिहार सरकार से यह परिवर्तित या पुनरीक्षित प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एल० एन० मिश्र : इस प्रस्तावित निगम की पूंजी कितनी है और क्या भारत सरकार को इस पूंजी में अपनी ओर से कुछ चन्दा देना पड़ेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि यह प्रस्तावित पूंजी २५० लाख रुपये होगी। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार ने कई राज्य वित्त निगमों के ऋण के रूप में दिये जाने के लिये दो करोड़ रुपये अलग कर रखे हैं। माना जाता है कि निगम की पूंजी में राज्य सरकार की पूंजी का ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का होगा। जब तक बिहार राज्य वित्त निगम नहीं बनता, तब तक यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सचिवालय सम्बन्धी वर्ग सूचियां

*८७४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में प्रथम वर्ग की सेवा को छोड़कर, अन्य विविध सेवाओं की वर्ग सूचियों के प्रख्यापन में बहुत अधिक देर हुई है, और निवृत्त हुये अथवा निवृत्त होने को आये व्यक्तियों के हितों पर इस देर से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार अग्रता निर्धारित करने के लिये उसी प्रकार से एकरूप सिद्धान्तों पर चल रही है जिस प्रकार से प्रथम वर्ग के कर्मचारियों के मामले में चली थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की वर्ग सूचियों की तैयारी के सम्बन्ध में सारी स्थिति समझाई गई है। [(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५] इस काम में यदि देर हुई है वह इसलिये हुई है कि प्रत्येक पदाधिकारी की पहले की सेवाओं की छानबीन करनी पड़ती है और उसकी अग्रता के दावे को भी जांचना पड़ता है। यों तो इससे किसी भी पदाधिकारी के हित पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रत्येक वर्ग में अग्रता निर्धारित करने का यही सिद्धान्त रहा है कि उस श्रेणी में नियुक्ति के साधन एवं ढंग को देखा जाता है।

आन्ध्र में तम्बाकू का उत्पादन शुल्क

*८६८. **श्री राघवय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र राज्य में, वहां के तम्बाकू उगाने वालों के व्यक्तिगत उपभोग के लिये, तम्बाकू की कितनी मात्रा उत्पादन शुल्क से मुक्त की गई है ;

(ख) क्या सारे राज्य में यह मात्रा एक सी है अथवा ज़िलेवार भिन्न है; और

(ग) यदि ज़िलेवार मात्रा भिन्न है, तो आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) (क) से (ग). तम्बाकू उगाने वालों के व्यक्तिगत उपभोग की शुल्क से मुक्त मात्रा

राज्य भर में एक सी नहीं होती किन्तु यह लोगों की तम्बाकू का उपभोग करने की आदत के अनुसार भिन्न प्रदेशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। आंध्र राज्य में प्रत्येक ज़िले में जितनी भी मात्रा शुल्क से मुक्त रखी गई है, उसके ब्यौरे का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]

आन्ध्र में सहकारी समितियां

*८७१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजीबद्ध सहकारी समाजों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की "ककराबन बटर फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी" को रजिस्टर नहीं किया गया; और

(ग) यदि नहीं किया गया, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) त्रिपुरा में ३० रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं।

(ख) और (ग). 'ककराबन बटर फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी' नाम की किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी से पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं मिला। यों तो ककराबन स्थित "दि आदर्श कृषि समवाय समिति, लिमिटेड" नाम की सोसाइटी का पंजीयन नहीं किया गया क्योंकि मुख्य आयुक्त का यही विचार रहा कि इस सोसाइटी के संस्थापकों का यह उद्यम सफल नहीं रहेगा।

महू छावनी

*८७७. **श्री एन० एल० जोशी** : रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने महू छावनी की असैनिक आबादी को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : महू छावनी की असैनिक आबादी के लिये शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें तो पहले से ही हैं क्योंकि छावनी बोर्ड १,७३,००० रुपये प्रति वर्ष की लागत से तीन स्कूल चला रहा है और राज्य सरकार और चार स्कूलों को सहायता देती है। यों तो सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर के इस बात की जांच कर रही है कि सभी छावनी बोर्डों को किस प्रकार पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाय। यह सभी के समझने की बात है कि संविधान के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर ही है।

यूनेस्को

१६८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के कार्य का भारत में प्रचार करने के लिये १९५३ में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) भारत के किन विश्वविद्यालयों ने यूनेस्को क्लबों की स्थापना की है ; और

(ग) भारत की किन संस्थाओं ने यूनेस्को कूपनों से लाभ उठाया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): एक विवरण जिस में यह सब जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७]:

बेकारी सहायता

*१६९. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित व्यक्तियों के लिये काम दिलाने के अवसरों की वृद्धि के निमित्त और ८० हज़ार अध्यापकों को काम दिलाने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने प्राइमरी स्कूल तथा समाज शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास:) : राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और भविष्य में सदन पटल पर रखी जाएगी ।

Par. S. 18. II. 19. 54.
285

अंक २

संख्या १९

बुधवार,

१० मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

निष्क्रान्त निक्षेप स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ट भाग १२४१]

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक—विचार करने तथा परिचालित करने के प्रस्ताव [पृष्ठ भाग १२४२—१२७७ और १२७८—१२९६]

सदन का कार्यक्रम [पृष्ठ भाग १२७७—१२७८]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

781 PSD

ससदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, १० मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२-५४ म० प०

निष्क्रांत निक्षेप स्थानान्तरण विधेयक

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पाकिस्तान के साथ हुये करार के अनुसार, निष्क्रान्त व्यक्तियों के कुछ निक्षेपों के पाकिस्तान भेजे जाने, विस्थापित व्यक्तियों के ऐसे ही निक्षेपों के भारत में लिये जाने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री जे० के० भोंसले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जायेगी । किन्तु इससे पूर्व मैं यह भी बता दूं कि प्रथम अवस्था पर आठ घंटे द्वितीय अवस्था पर तीन घंटे तथा खण्ड-वार चर्चा पर तीन घंटे व्यतीत किये जायेंगे । परन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये अभी जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है उस पर भी विचार करना पड़ेगा । मैंने कार्यक्रम मंत्रणा समिति की एक बैठक आज शाम को पांच बजे बुलाई है जो इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी राय देगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इसके पूर्व कि माननीय गृह-कार्य मंत्री अपना विधेयक प्रस्तुत करें, मैं इसके बारे में एक आपत्ति उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सदन के सम्मुख प्रस्ताव रखे जाने के पहले ही कोई आपत्ति कैसे उठाई जा सकती है । अतैव पहले उन्हें प्रस्ताव रख लेने दीजिये और बातें बाद में उठाई जा सकती हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

डा० लंका सुन्दरम : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस पर माननीय मंत्री के भाषण के बाद औचित्य प्रश्न उठाने से कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले प्रस्ताव का प्रस्तावक उसका समर्थन करेगा उसके बाद ही मैं औचित्य प्रश्न सुनूंगा।

डा० काटजू : मेरे इस प्रस्ताव के कारण सदन में काफी क्षोभ पैदा हो गया है इस विधेयक के गुण दोषों पर विचार करने से पूर्व हमें इस अधिनियम की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिये। यह समझना बिल्कुल गलत है कि १९५१ में संसद् द्वारा पारित किया गया यह अधिनियम कार्य पालिका को मन मानी करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम, जिसके बारे में मैं यह चाहता हूं कि इसकी अवधि दो वर्ष के लिये और बढ़ा दी जाय, न्यायिक प्रक्रिया है। पहले प्रेस अधिनियम इस प्रकार के थे कि जिन से कार्यपालिका को किसी भी समाचार पत्र या किसी प्रेस के स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार मिले हुये थे। यह कार्य पालिका कार्यवाही थी और जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता था वह, यदि उस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कर सकता, न्यायिक प्रति समाधान करवा सकता था या न्यायालय में जा सकता था। किन्तु वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत कार्य पालिका को इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलता। किसी सामान्य अपराध के मामले में पुलिस अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग सूची प्रस्तुत करती है, अभियोक्ता मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है और फिर न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा उस मामले में जांच पड़ताल की जाती है। इस विशेष मामले में अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपत्तिजनक विषय क्या हैं और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक आपत्तिजनक विषय वाली बात अपराध होती है, यथा "किसी व्यक्ति को हिंसात्मक कार्य करने के लिये भड़काना, किसी व्यक्ति को बध के लिये उकसाना, खाद्य वितरण करने के मामले में हस्ताक्षेप करने के लिये किसी को उकसाना, सशस्त्र सेना के किसी सदस्य को उसकी निष्ठा से विलोभित करना, जनता के विभिन्न वर्गों में शत्रुता या घृणा की भावना बढ़ाना" तथा "ऐसे प्रकाशन प्रकाशित करना जो पूर्ण रूप से अश्लील हों या जिनमें गन्दी बातें हों या ऐसे विषय जो धमकी द्वारा रुपया लेने के उद्देश्य से छापे जाते हों।"

मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिये सामान्य प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। किन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अभियोग सूची प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा सरकार एक दूसरे रूप में अभियोग सूची प्रस्तुत करेगी। सरकार यह बतायेगी कि किसी प्रेस के स्वामी या प्रकाशक के विरुद्ध ये आरोप हैं और उससे सरकार जमानत चाहती है। जैसे किसी दीवानी के मुकदमें में वादी अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है और कहता है कि "मुझे १०,०००रुपये डिग्री चाहिये।" उसी प्रकार से सरकार अपनी शिकायत में यह कहती है कि "सरकार २,००० या ३,००० रुपये की जमानत मांगती है।" यह शिकायत सत्र न्यायाधीश के सामने पेश की जाती है। अधिनियम में यह प्रक्रिया निर्धारित है। प्रेस के स्वामी या प्रकाशक को नोटिस दिया जाता है और वह भी अपना जवाब दे सकता है, गवाही दे सकता है और गवाह उपस्थित कर सकता है। यदि वह जूरी प्रणाली द्वारा

मुकदमा तय करवाना चाहता है तो जूरियों को चुनने की भी प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि इस मामले में सत्र न्यायाधीश (सैशन जज) ही यह आदेश जारी करता है कि : "यह शिकायत ठीक है, और इस व्यक्ति ने प्रार्थना की है मैं उसके पक्ष में आदेश जारी करता हूं"। "या वह जमानत की राशि कम कर सकता है या वह यह कह सकता है कि : "यह शिकायत ठीक नहीं है, या अपराध बहुत मामूली है।" वह उस शिकायत को रद्द कर सकता है या चेतावनी दे सकता है। उस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

मुझे आश्चर्य होता है कि इन सब बातों के होते हुये यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई विशेष कार्य निरंकुश सरकार का स्वेच्छाचारी कार्य है। यह तो सब न्यायिक प्रक्रिया ही है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें इस मामले पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिये। यदि सदन की यह राय है कि किसी संगत अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिये या अन्य कोई हानि पहुंचाने के लिये किसी व्यक्ति को हिंसा या विध्वंसात्मक कार्य करने के लिये उकसाने या प्रोत्सहित करने का मूल अधिकार है या लोगों की हत्या करने के लिये भड़काने का अधिकार है तो मैं यह मानता हूं कि यह एक बुरा विधान है। परन्तु यह सब तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। आप इससे अधिक क्या चाहते हैं।

जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तो इसे कुछ वर्षों तक सीमित रखा गया था। मैं उस समय यहां नहीं था। किन्तु उस समय जो गृह-कार्य मंत्री थे उनका ख्याल था कि दो वर्षों में स्थिति सुधर जायेगी और प्रेस वाले व्यवसायिक आचरण के सम्बन्ध में अपने लिये कुछ नियम बना लेंगे। किन्तु मुझे आप से फिर कहना पड़ा है कि यह आशा पूरी नहीं हुई।

इस विधेयक के गुणों पर विचार करते समय हमसे यह भूल हो सकती है कि हम केवल कुछ प्रमुख समाचार पत्रों पर ही ध्यान दें और उन्हें देख कर कहें कि ये तो औचित्य और गम्भीरता के नमूने हैं। किन्तु इस देश में समाचार पत्रों की संख्या बहुत है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, प्रायः प्रत्येक जिले में समाचार पत्र छपते हैं और देश में छोटे बड़े सब प्रकार के मासिक या साप्ताहिक या दैनिक पत्र छपते हैं। कुछ समाचार पत्र केवल एक पृष्ट के और कुछ आठ आठ पृष्ठों के होते हैं और ये अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में भी छपते हैं। हमें या सरकार को यह देखना होता है कि उन सब में क्या प्रकाशित हो रहा है। बड़े नगरों—बम्बई तथा कलकत्ता जैसे नगरों में, अंग्रेजी भाषा के पत्रों में भी कई बार ऐसी चीजें छपती हैं, जिन्हे पढ़ कर बहुत दुखः होता है। ये चीज़ें बिल्कुल अनुचित होती हैं।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सदन को ज्ञात है कि पिछले वर्ष जुलाई में कलकत्ता में ट्रामों के किराये के बारे में आंदोलन हुआ था। उस समय कुछ पत्रों ने यह लिखा था कि "मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक सब उच्च अधिकारी एंडरसन के जमाने के हरामी हैं"। क्या यह अच्छी चीज़ है? क्या यह शिष्ट भाषा है? "ये अपनी माओं के लिये कलंक स्वरूप हैं; ये सब बन्दर हैं, इनकी दुमें काट लेनी चाहियें"। मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र ऐसी भाषा को क्या कहेंगे? क्या वे ऐसी भाषा को ठीक समझते हैं।

जब अध्यादेश जारी किया गया था, तो प्रतिष्ठत पत्रों ने भी, जिन में 'हिन्दू'

[डा० काटजू]

भी था, सरकार की कार्यवाही की आलोचना की थी और लिखा था कि कुछ अभियोग सफलता पूर्वक चलाये गये हैं, किन्तु घटिया समाचार पत्रों पर तो प्रेस अधिनियम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। किन्तु वे समाचार पत्र जो इस श्रेणी में नहीं आते न्यायालय के मुकदमें से बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इन पत्रों को पढ़ें। उदाहरण के रूप में मैं बतलाता हूं कि १५ फरवरी को स्वयं मेरे बारे में क्या प्रकाशित हुआ था। या दो सप्ताह पहले मैं ने एक हिन्दी समाचार में पढ़ा था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मैं कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये कल्यानी गया था। सब प्रतिनिधि कल्यानी कांग्रेस नगर में ठहरे थे। मैं ६ रातें और पांच दिन वहां रहा। मैं वहां १९ को पहुंचा था। मुझे सूचित किया गया कि मेरी लड़की कलकत्ता में बहुत बीमार है। एक रात मैं डा० राय के साथ और अगली रात विधि मंत्री के साथ---अपनी लड़की को देखने के लिये कलकत्ता गया था। मैं केवल दो रातें कलकत्ता में रहा और चार रातें और पांच दिन कल्यानी में कांग्रेस का काम करता रहा। किन्तु मेरे बारे में समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि चूंकि कांग्रेस नगर में सब सुविधाओं के होते हुये भी मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिये मैं प्रतिदिन कलकत्ता जा कर राज भवन में जा कर ठहरा करता था। वास्तव में मैं राज भवन बिल्कुल गया ही नहीं था और न ही मैं वहां के किसी व्यक्ति से मिला था। अब आप देखिये, जब लोग यह समाचार पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे। एक और अवसर पर प्रधान मंत्री के बारे में एक बहुत गन्दी बात कही गई थी। मेरे पास समाचार पत्रों के कटिंग हैं, जिनमें केन्द्र तथा राज्यों के प्रत्येक मंत्री के व्यक्तिगत चाल चलन पर आघात किया गया है। इस प्रकार के गन्दे और अश्लील वक्तव्यों को हम कैसे सहन कर सकते हैं। हमें सदन में और प्रेस में कुछ न कुछ शिष्टता बनाये रखनी है। यदि प्रेस ही अश्लील और अशिष्ट हो जाये, तो इसका अन्त कहां पर जा कर होगा। मेरे पास एक और कटिंग है जिसका शीर्षक है "गुनाह के अफ़साने" इसकी भाषा इतनी अश्लील है कि मेरे लिये इसका पढ़ना कठिन है। इस लेख को 'पापों की कहानी' कहा गया है और इसमें यह बतलाया गया है कि एक कालेज की लड़की के साथ एक सिनेमा घर में क्या हुआ इत्यादि। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता। किसी व्यक्ति के लिये इस प्रकार का लेख लिखना लज्जा की बात है। प्रेस अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती है, मैं उसे अभियोग कहता हूं।

यदि कोई प्रकाशक या सम्पादक अनुचित चीजें प्रकाशित करता है, तो उसे जेल भेजने की बजाय कहा जायेगा कि वह २००, ३००, ४०० या ५०० रूपये की राशि जमा करवाये। इस में बुरी बात क्या है? सत्र न्यायाधीश मामले की जांच करता है और उसे अपनी सफाई पेश करने का पर्याप्त अवसर देता है। वह कह सकता है कि जो कुछ उसने प्रकाशित किया है, वह बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नहीं समझ सकता कि इस में स्वच्छन्दता का प्रश्न कहां से आ जाता है।

यह अधिनियम दो वर्ष से चल रहा है। पहली फरवरी, १९५२ से ३१ अक्तूबर, १९५३, तक इस अधिनियम के अन्तर्गत अश्लील रचनाओं के लिये चलाये गये अभियोग ५३ तथा अन्य प्रकार के साहित्य के लिये ३३ हैं। इस प्रकार सारे भारत में ऐसे

अभियोगों की योग संख्या ८६ है । वास्तव में सदन की सूचना के लिये मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य सरकार ने इस बात की शिकायत की है कि इस अधिनियम की भाषा इतनी दुरूह एवं संयत है, (कुछ माननीय सदस्य : ओह) ; कि कार्यवाहियां विलम्बकारी और थका देने वाली होती है तथा इन में महीनों लग जाते हैं । ऐसा सामान्यतः न्यायिक कार्यवाहियों में अवश्य होता है और इसी कारण राज्य सरकारें कोई कार्यवाही नहीं करती हैं । अन्यथा यदि ऐसे रद्दी समाचार पत्र निकलते हैं और उनसे जमानत ले ली जाय तो सारा मामला समाप्त हो जायगा । इस पर भी अधिनियम का प्रयोग अत्यधिक सावधानी से किया गया है । इन मामलों की योग संख्या देखिये । मेरा निवेदन यही है । हम उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं । राज्य सरकारों पर शांति एवं व्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व है । समय बड़ा कठिन है । सदन इसको जानता है । साम्प्रदायिकता तथा प्रांतीयता की भावनायें चल रही हैं । राज्यों के पुनः संगठन करने के लिये आयोग की बैठक हो रही है । कभी कभी अत्यधिक उत्तेजना तथा प्रान्तीय झगड़ों के अवसर आ जाते हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि हाल ही में समाचार पत्रों में सेराइकेला तथा खर्सवान के कुछ झगड़ों के विषय में क्या समाचार प्रकाशित हुआ था । हमें इन सभी साम्प्रदायिकता की भावनाओं आदि को ध्यान में रखना है। मेरे पास दोनों तरफ की कतरनें हैं। मुसलमानों के विरुद्ध अत्यंत क्षोभ उत्पन्न करते हुये, ये अपराध लगाये जाते हैं कि वे भी इसका बदला ले रहे हैं । हम कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते । हम ऐसे पत्रों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देना चाहते , जो केवल बिक्री बढ़ाने के लिये ही अनुत्तरदायी लेख लिख देते हैं । मैं बंगाल के माननीय सदस्यों से इस बात को सोचने के लिये कहूंगा कि उस समय क्या हुआ था जब कि ट्राम्बे की हड़ताल चल रही थी । मेरे पास उसकी सूचना है बंगाली समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के शीर्षक । इसके पश्चात् अध्यापकों की हड़ताल हुई । प्रत्येक हड़ताल गृह-युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, स्वातन्त्र्य युद्ध तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का युद्ध हो जाता है । मैंने आज के समाचार पत्र में कलकत्ता के एक दूसरे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का समाचार पढ़ा है, जबकि विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात् गये और कहा कि यह प्रश्न पत्र बड़ा कठिन है ; दो प्रश्न पाठ्य क्रम के बाहर से पूछ लिये गये हैं । उन्होंने क्या किया ? उन्होंने तब खिड़कियों के शीशे तथा कांच तोड़ डाले, कुर्सियां तथा अन्य तमाम चीज़े तोड़ डालीं, मुझे निश्चय मालूम है कि यदि कोई कार्यवाही की जायेगी तो वह सच्चे तथा भोले भाले विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप समझा जायगा । परीक्षा रोक देनी पड़ी । कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम ज्वालामुखी के ऊपर रह रहे हैं । विभिन्न दल कार्य कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, और विद्यार्थियों के मोर्चे, कृषकों के मोर्चे, भर्ती के लिये मोर्चे आदि न जाने कितने प्रकार के मोर्चे तैयार कर रहे हैं । मै नहीं जानता कि कितने दल बन चुके हैं । हम यह भी जानते हैं कि वे अपने अन्दोलन को चलाने में अपने नियमों का सावधानी से पालन नहीं करते । यह राजनीतिक खेल का एक अंग है । मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन, जिनको मैं यहां देख कर बहुत प्रसन्न हूं, उन्होंने त्रावन कोर-कोचीन से यह तार भेजा था – "यह चीज़ हुई है ।"

श्री ए० के० गोपालन : मैंने तार भेजे हैं।

डा० काटजू : मैं जानता हूं कि वे सब ठीक हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : जब अधिक गड़बड़ी होती है तो मुझे तार भेजने पड़ते हैं ।

डा० काटजू: मैं यह नहीं कहता कि तार नहीं भेजा गया था: मैं केवल यह कह रहा हूं कि देश में यह हो रहा है ।

श्री ए० के० गोपालन : खड़े हो गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : तार सही है, और वह इसका निर्देश कर रहे हैं । इसका कोई और तात्पर्य नहीं है ।

श्री ए० के० गोपालन : तार का विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें और यह देखें कि वह किस प्रकार आगे बढ़ते हैं ।

डा० काटजू : मैं केवल यह कह रहा हूं कि वातावरण में उत्तेजना फैल रही है, और इसीलिये उचित यह है कि हम सावधानी से रहें ।

श्रीमान्, यह विधेयक कैसा है ? यह बहुत छोटा तथा हानिरहित विधेयक है ।

श्री के० के० बसु : हानि रहित ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बसु से कहता हूं कि उन्हे इस प्रकार अन्तर्बाधा नहीं उपस्थित करनी चाहिये । यदि वह धैर्य नहीं धारण कर सकते, तो मुझे उन से सदन से बाहर चले जाने के लिये कहना पड़ेगा। (अन्तर्बाधा) ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हम दान पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं हम आलिवर टिवस्ट नहीं हैं । हम को जनता ने यहां भेजा है । इस प्रकार के व्यवहार की आशा हम सभापति महोदय से नहीं करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री एच० एन० मुकर्जी को पुकारता हूं । वह आज दिन भर के लिये सदन से बाहर चले जांय । (अन्तर्बाधा)

श्री के० के० बसु : हम स्कूल के बालक नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य रुकावट डालेगा, तो उसे सदन से बाहर जाना पड़ेगा ।

श्री के० के० बसु: हां, हम लोग सदन से बाहर जा रहे हैं (अन्तर्बाधा) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस अन्तरहित अन्तर्बाधा की अनुमति नहीं दे सकता ।

एक माननीय सदस्य : आप अनुमति क्यों देते हैं ?

श्री एस० एस० मोरे : किस नियम अथवा प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बताने को तैयार नहीं । मैं नियम जानता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम लोग सभापति से यह पूछ नहीं सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । मेरा कर्तव्य शांति को बनाये रखना है । मैं ने उन से सदन से बाहर जाने के लिय कह दिया है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि आपको शांति नियमानुकूल ही रखनी चाहिय ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैंने नियमानुकूल ही शांति रखी है। मैं माननीय सदस्य को यह बताने के लिय बाध्य नहीं हूं।

डा० काटजू : इस विधेयक में केवल दो उपबन्धों की व्यवस्था है। एक तो विधेयक को दो वर्ष बढ़ाने के लिये है। ३१ जनवरी को इसकी तिथि समाप्त होने को थी, और मैं इसे दो वर्ष तक बढ़ाने के लिये कहता हूं। प्रेस आयोग की बैठक हो रही है और मैं नहीं जानता कि वह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा। चार मास भी लग सकते हैं और छः मास भी। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब ऐसे आवश्यक आयोग अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं, तो उनको प्रकाशित किया जाता है और राज्य सरकारों में उनकी सम्मतियों के लिये इनको परिचालित करवा दिया जाता है तथा इनका प्रकाशन जनता की टीका-टिप्पणी तथा आलोचना के लिये भी किया जाता है। प्रेस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसमें या तो संशोधन करें अथवा आवश्यक परिवर्तन करें। इसके लिये यदि आवश्यकता हुई तो हम नियम बना लेंगे। किन्तु इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि न तो मैं ही और न सरकार ही इसके लिये तैयार है कि शांति रखने के उपाय को छोड़ दिया जाय, और यह विचार धारा समाचारपत्रों में उत्तरदायी ढंग से व्यक्त की गई है। हम भिन्न भिन्न पत्रों, पत्रिकाओं तथा साप्ताहिक पत्रों में इस प्रकार के व्यर्थ की सामग्री का प्रकाशन अथवा लोगों के नैतिक स्तर में हस्तक्षेप अथवा नुकता-चीनी करने का प्रयत्न करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह एक चीज है।

मैंने आदेश-पत्र पर कुछ ऐसे संशोधन देखे हैं कि इस विधेयक पर जनता की सम्मति लेने के लिये इसको परिचालित कराया जा सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक को समाप्त कर देने की एक विलम्बकारी चीज़ है। अध्यादेश की तिथि कुछ सप्ताहों में समाप्त हो जायगी और उस प्रस्ताव के परिचालित करवाने का उद्देश्य यह है कि अधिनियम को समाप्त कर दिया जाय जिससे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके। इसी प्रकार प्रवर समिति की नियुक्ति के लिये भी संशोधन रखे गये हैं। प्रवर समिति की नियुक्ति की जाय तो किस उद्देश्य के लिये? यह एक छोटा विधेयक है। इसमें अधिक जटिल उपबन्ध नहीं हैं। सदन यहां इस बात को कह सकता है कि वह इसे बढ़ाने के पक्ष में है अथवा नहीं। सदन जो भी चाहे कह सकता है।

अतः इस विधेयक में जो सुझाव रखा गया है, जिसे मैं एक छोटा सा सुझाव समझता हूं, और जिसे मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम में सुधार करने वाला होगा, वह यह है। सारे संसार में जहां कहीं भी जूरी प्रणाली प्रचलित है, यह अन्तर्निहित रहता है कि जूरी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अभियुक्त को दोषी घोषित करे अथवा निरपराध। यही सब कुछ है। वह इसी पर अपना अन्तिम निर्णय घोषित कर सकती है। यदि वह निरपराध घोषित करती है, तो जहां तक फौजदारी कार्यवाही का सम्बन्ध है, मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है और यदि वह अपराधी घोषित किया जाता है, तो जूरी न्यायालय से बाहर चली जाती है। इस मामले में क्या दंड दिया जाना चाहिये यह निश्चय करना एक न्यायिक कार्य समझा जाता है।

अधिनियम की भाषा इस प्रकार की है जिससे जान पड़ता है कि जूरी को अपराधी अथवा निर्दोष घोषित करने का अधिकार भी है, तथा दण्ड घोषित करने का भी।

[डा० काटजू]

मैं निवेदन करता हूं कि यह क्रिया पूर्ववर्ती तथा जूरी जांच सम्बन्धी सुव्यवस्थित प्रथा के पूर्णतया अनुकूल नहीं थी। अतः विधेयक के संशोधनों में से एक संशोधन इस सम्बन्ध में भी है कि जूरी का अपना क्षेत्र होना चाहिये तथा अपने क्षेत्र का निर्णय करना चाहिये।

दूसरी चीज़ यह है कि अधिनियम में अभियुक्त को अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह वध की जांच का प्रश्न नहीं है। हत्या की जांच तथा जूरी की जांच के लिये भी वादी तथा प्रतिवादी, दोनों पक्षों को अधिकार दिया गया है। मैंने इस विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि अपील करने का अधिकार राज्य तथा प्रेस के मालिक अथवा प्रकाशक दोनों को दिया जाना चाहिये। इसका यह तात्पर्य नहीं कि यदि ईश्वर न करे कि कहीं सेशन जज प्रकाशक के पक्ष में गलत फैसला सुना दे, तो वह न्यायोचित होगा और वही लागू रहेगा। यदि सेशन जज अपना गलत फैसला प्रकाशक के पक्ष में सुना देता है, तो अपील करने का अधिकार उसमें दिया गया है। यही सम्पूर्ण विधेयक का सारांश है।

तत्पश्चात् जूरी की सूची निश्चित करने के विषय में भी एक छोटा सा उपबन्ध है। अधिकांशतः जूरी विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों की एक सम्मिलित जूरी होनी चाहिये, हमने यह सुझाव रखा है कि जिले वार जूरी सूची रखने के बजाय जूरी की सूची सम्पूर्ण राज्य की होनी चाहिये।

वास्तव में मुझे यही कहना है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि अधिनियम का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया गया है। वास्तव में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस मामले में राज्य सरकारों की नरमी पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि भारत के भिन्न-भिन्न प्रेसों के समाचार पत्रों को पढ़ना मेरे कर्तव्य का एक अंग है, और वे कभी कभी भयानक होते हैं, मैं जान बूझकर इस शब्द का प्रयोग कह रहा हूं। और पत्रिकाओं तथा साप्ताहिक आदि पत्रों में, जो चीज़ें धमकी से रुपया बटोरने के आशय से प्रकाशित होती हैं, इसको देखकर लज्जा आ जाती है। वास्तव में, इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को और भी अधिक सतर्क होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री फ्रैंक एंथनी : माननीय गृह-कार्य मंत्री द्वारा कही गई बात के बारे में क्या मैं एक औचित्य प्रश्न पूछ सकता हूं। धारा ३ में आपत्तिजनक विषय की जो परिभाषा दी गई है वह स्पष्टतया संविधान के अधिकार से बाहर है। मैं इस विषय पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या धारा ३ शक्ति परस्तात है ?

श्री फ्रैंक एंथनी : कम से कम इसके कुछ भाग तो अवश्य ही अधिकार से बाहर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को किस भाग पर आपत्ति है ?

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरी आपत्ति सर्व प्रथम तो इन उपबन्धों के सब से पहिले शब्द 'likely' (संभाव्य) पर है।

संविधान अपराध के लिए वास्तविक उकसाहट पर प्रतिबन्ध लगाता है, संभाव्य उक्साहट पर नहीं। हम इस शब्द के प्रयोग से एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी हमें संविधान अनुमति नहीं देता। इसी प्रकार से शब्द 'Scurrilous' (अश्लील) भी अनुच्छेद १९(२) में उल्लिखित प्रतिबन्धों के सीमाक्षेत्र से परे जाता है। उक्त अनुच्छेद में दुनिया भर के शब्द आ गए हैं परन्तु इस शब्द को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसकी कोई रूढ़िगत अथवा वैधानिक परिभाषा नहीं हो पाई है। 'अश्लील' किसे कहा जाता है? मैं कह देता हूं कि अमुक मंत्री अकुशल है। मुझे ऐसा कहने का अधिकार है। किन्तु सैशन जज इसे अश्लील ठहरा देता है। इतनी सी बात से किसी समाचार पत्र को एकदम बन्द किया जा सकता है अथवा उसकी ज़मानत ज़ब्त की जा सकती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस प्रकार की आपत्तियां पहले की जा चुकी है जब यह अधिनियम पारित हुआ था। अब तो केवल इसके विस्तार का प्रश्न है, अतः यह औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : श्री एंथनी द्वारा उठाए गए औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई विशेष अधिनियम चाहे वह संविधान के विरुद्ध हो अथवा न हो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही रहता है। इस का निर्णय सदन द्वारा नहीं किया जा सकता। यह तो न्यायालय का ही काम है। .....

उपाध्यक्ष महोदय: अब इस विषय पर कुछ अधिक कहे जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एन० सी० चटर्जी : अनुच्छेद १९(१) के अनुसार अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाक्-स्वातंत्र्य का मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत राज्य द्वारा किसी भी मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने वाला कोई विधान पास नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री रमेश ठापर के मामले में दिए गये निर्णय से भी इस बात की पुष्टि होती है कि संसद मूलभुत अधिकारों को कुंठित करने वाला कोई विधान पास नहीं कर सकती। अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वातंत्र्य को कम किया जा सकता है बशर्ते कि यह अनुच्छेद १९(२) के अंतर्गत आए। किन्तु इस धारा में कुछ सीमाएं बांध दी गयी हैं जिनके परे आप मूलभूत अधिकार में कमी नहीं कर सकते। तथा उस पर विधान नहीं बना सकते। मैं समझता हूं कि श्री एन्थनी की इस बात में पर्याप्त बल है कि जब आप अनुच्छेद १९(२) से परे जाते हैं, तो आप ऐसा काम करते हैं जो आपके अधिकार से बाहर है तथा अनुच्छेद १९ की अवहेलना करता है।

श्री टी० एन० सिंह : ज़िला (बनारस-पूर्व): श्रीमान् अभी आपने पंडित ठाकुर दास भार्गव के औचित्य प्रश्न पर अपना विनिर्देश नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ठाकुर दास भार्गव ने श्री एन्थनी के औचित्य प्रश्न पर एक औचित्य प्रश्न उठाया था कि श्री एन्थनी उस औचित्य प्रश्न को इस प्रक्रम पर नहीं उठा सकते। ऐसे मामलों में अध्यक्ष इस बात के निर्णय का भार अपने उपर नहीं लेता कि यह नियमानुकूल है अथवा नहीं, वरन् वह इसका निर्णय सदन पर छोड़ देता है। जब इस विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव पर आग्रह किया जाएगा तब सदन इसका निर्णय करेगा।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम): मैं एक और औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं जो उद्देश्य तथा कारणों के विवरण के सम्बन्ध में है । विधेयक से सम्बन्द्ध उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कोई भी कारण नहीं दिया गया है । उसमें इस बात के कोई तर्क माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गयें हैं कि सरकार इस अधिनियम को और क्यों बड़ाना चाहती है । केवल यह कारण दिया गया है कि सरकार ने प्रेस आयोग नियुक्त किया है ;, उसे यह नहीं मालूम कि इसकी सिफारिशें क्या होंगी; इसलिये हमसे इस अधिनियम को जारी रखने के लिए कहा जा रहा है । ठीक इसी प्रकार हम इस ओर से भी यही कह सकते हैं कि चूंकि एक प्रेस आयोग नियुक्त किया गया है और हमें नहीं मालूम कि इसकी क्या सिफारिशें होंगी, इसलिए हमें इसे और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । अतएव जब तक कि माननीय मंत्री जी हमें इस बात के कारण न दे सकें कि इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों है, यह सदन के प्रति उचित नहीं होगा । हमारे नियमों में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक विधेयक के साथ उद्देश्यों तथा कारणों का एक विवरण दिया जाए । इस उपबन्ध की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । और चूंकि आजकल अधिकतर विधेयकों में प्रस्तावना भी नहीं होती, इसलिए उद्देश्य तथा कारणों को समुचित रूप से देना और भी आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि दिये गये कारण काफी नहीं हैं, माननीय मंत्री जी का ख्याल है कि वे पर्याप्त हैं । यह सदन पर निर्भर है कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण को स्वीकार करे अथवा विधेयक को अस्वीकृत करदे । इसमें औचित्य प्रश्न कोई नहीं है ।

इस विचारार्थ प्रस्ताव के कई संशोधन प्राप्त हुए हैं । श्री वल्लाथरास का संशोधन विधेयक को परिचालित करने के सम्बन्ध में है । क्या वह इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर, ३० मार्च, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाए " ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद श्री गुरुपादस्वामी का भी इसी प्रकार का संशोधन है किन्तु उसमें तारीख ३० मार्च, के बजाय ३० अप्रैल है । श्री एच० एन० मुकर्जी तथा श्री साधन चन्द्र गुप्त के नामों में भी इसी प्रकार के संशोधन हैं । वे यहां मौजूद नहीं हैं ।

क्या श्री गुरुपादस्वामी अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी हां । मैं चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए । सदस्यों के नाम मैं अभी एक मिनट में पेश कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संशोधन की स्वीकृति नहीं दे सकता क्योंकि नियमानुसार, सदस्यों के नाम प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ही दिए जाने चाहिएं ।

अब मूल प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, तथा श्री वल्लथरास का संशोधन, कि इसे जनमत प्राप्त करने के लिए परिचारित किया जाए, रह जाते हैं ।

श्री वल्लाथरास: वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेस से अधिक महत्व के मामले और बहुत कम हैं। सरकार के लिए यह वास्तव में बड़ा निंद्य है कि इस अधिनियम की दो वर्ष की अवधि में उसने स्थिति की जांच तथा विश्लेषण करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। माननीय मंत्री जी जनमत के लिए विधेयक को परिचारित करने अथवा प्रवर समिति को सौंपे जाने की बात को इसलिए टाल रहे हैं कि उसी दौरान में अध्यादेश की अवधि समाप्त हो जाएगी तब तक किसी प्रकार इस विधेयक को पास भी करना है। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों से सरकार क्या कर रही थी। वह इस विधेयक को बहुत पहले—सवा या डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद —प्रस्तुत कर सकते थे जिससे कि सदन को भी प्रर्याप्त विचार करने का मौका मिल जाता। लेकिन जब देखा गया कि अधिनियम की अवधि समाप्त हो रही है तो एकाएक दिसम्बर, १९५३ में सरकार को जाग आयी और यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन चूंकि अधिनियम की अवधि के समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे थे अतः एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। अध्यादेश जारी किए जाने के बाद भी इस बात की पर्वाह नहीं की गई कि सदन को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

आप ने भाषणों के लिए जितना स्वातन्त्र्य दिया है उतना ही स्वातंत्र्य आप को समाचार पत्रों के लिए भी देना चाहिए। इन दोनों के बीच भेद भाव करने का कोई कारण नहीं है। पंडित जी ने इस बात का बहुत सरल और तर्क शुद्ध स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री ने इसके समर्थन में केवल एक ही युक्ति दी थी कि समाचारपत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और इसलिए उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि समाचारपत्रों को स्वैराचार का स्वातंत्र्य मिलना चाहिये। देश के हित, समाज के कल्याण तथा सदाचार के पालन पर हमें सदैव ध्यान रखना चाहिये किन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को सहनशील होना चाहिये। मैं माननीय डा० काटजू जैसे संवेदनशील राजनितिज्ञ पसंद नहीं करता। जब मैं सभा में जाकर चाहे जैसी टीका–टिप्पणी कर सकता हूं तो फिर समाचारपत्रों पर ही ये पाबन्दियां क्यों होनी चाहियें ? इस बात का स्पष्टीकरण किसी ने नहीं किया है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने केवल इतना ही कहा है कि मौखिक तथा लिखित शब्दों में अन्तर होता है, किन्तु क्यों ? इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा में भाषण देते हैं तब पांच, दस या पंद्रह लाख लोग उनको सुनते हैं। क्या भारत में किसी समाचारपत्र की इतनी प्रतियां बिकती हैं ? समाचारपत्र का प्रसार केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र में, एक ही भाषा में और कुछ मुट्ठी भर शिक्षितों में होता है। इसके विपरीत, अंगविक्षेपों तथा मुद्राओं से सजाये गये भाषणों द्वारा सामने बैठे हुए असंख्य अनपढ़ देहातियों की भावनाओं को हिलाया जा सकता है। इन भाषणों की तुलना में समाचारपत्रों का प्रभाव नगण्य है। अतः १९५१ के अधिनियम के समर्थन में जितना भी तर्क लड़ाया गया था वह सारा निरर्थक साबित होता है।

दूसरी बात यह है कि हम दुनिया से पृथक तो नहीं रह रहे हैं। स्वास्थ्य, राजनीति आदि कई एक मामलों में हम दुनियां के साथ सोचते चलते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्य हैं जो सारी दुनिया की जनता के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।

[श्री वल्लाथ रास]

किन्तु इस एक बात में हमारा व्यवहार सारे लोकतन्त्रात्मक देशों से न्यारा है । अमरीका, इंगलिस्तान, फ्रांस आदि देशों में हमारे प्रेस अधिनियम जैसा कोई घृणास्पद कानून नहीं है । केवल हमें ही इस मामले में सुरक्षा के नाम पर भिन्न व्यवहार क्यों करना चाहिये ? मैं माननीय मंत्री से कुछ स्वतंत्र युक्तिवाद की अपेक्षा रखता था । किन्तु उन्होंने उन्हीं १९५१ वाली बातों की पुनरूक्ति की है ।

उन्होंने पहले यह बताया कि न्यायिक जांच का प्रबन्ध किया गया है । इससे क्या बनता है । पहले तो आप समाचार-पत्रों को अपराधी जाति घोषित कर देते हो और बाद में उन्हें आश्वासन देते हो कि चिन्ता का कोई कारण नहीं । उन से जमानतें ली जाती हैं, उनकी जमानतें जब्त की जाती हैं और उनके मुद्रणालाय भी बन्द किये जाते हैं । इनके साथ व्यवहार के लिए केवल साधारण विधि को पर्याप्त नहीं माना जाता । जब कि दुनिया के अन्य प्रगतिशील देशों में ये पाबन्दियां नहीं हैं, तो केवल हम ही इनकी आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री न न्यायिक जांच के प्रबन्धों की बहुत प्रशंसा की है । वे कहते हैं : "मैं ने आप को न्याय-सभ्यों द्वारा जांच की सुविधाएं दी हैं । मैं ने आप के लिए न्यायाधीशों का प्रबन्ध किया है आप इसे समझते नहीं : इसके उलट आप शोर मचा रहे हैं कि मैं ने एक विशेष कानून प्रस्तुत किया ।" परन्तु यह सारा तर्क बेकार है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गत दो वर्षों में यह देखा है कि यह अधिनियम किस तरह से काम करता है । क्या वह उस अनुभव के आधार पर इसे जारी रखना चाहती है ? वास्तव यें बात यह है कि सरकार गुणदोषों के आधार पर इस पर चर्चा नहीं करना चाहती । माननीय मंत्री का बस चलता तो वे हमें यहां बोलने की भी इजाजत नहीं देते ।

हमें बताया जाता है कि हम प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें । लेकिन हम इसकी प्रतीक्षा क्यों करें ? हो सकता है कि हम इससे सहमत हों अथवा न हों । हमें मालूम है कि १९४७ में ऐसी ही एक प्रेस जांच समिति नियुक्त की गई थी । उसकी सिफारिशों का क्या हुआ यह तो हमें मालूम ही है । उसके प्रतिवेदन के प्रति गृह-कार्य मंत्री का रवैय्या क्या रहा यह भी हमें मालूम है । माननीय मंत्री ने कहा था कि यह प्रतिवेदन अव्यवहार्य है । मंत्री जी ने कहा कि प्रेस में कुछ दोष है परन्तु हमें बताया नहीं जाता कि वे दोष क्या हैं । उन्होंने बीमारी का पता लगाये बिना ही इलाज निश्चित किया है ।

प्रेस जांच कमेटी की सिफारिशों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री ने जो दलीलें दी हैं वे संतोषजनक नहीं हैं । आपने जो प्रेस आयोग नियुक्त किया है यदि वह यह सिफारिश कर दे कि प्रेस के सम्बन्ध में जो सुरक्षा कानून आदि हैं उन्हें रद्द कर दिया जाये तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे ? लेकिन प्रेस आयोग को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उसे काम करते हुए १८ महीने हो गये हैं किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा । मेरे विचार में जब वह इतने महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर रहा है तो उसे और अधिक समय दिया जान

चाहिये जिससे वह अपनी रिपोर्ट में कोई कमी न रहने दे। यदि प्रेस आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी भी दे देता है तो भी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह इस मामले में शीघ्रता से काम करेगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार उस पर अगले दो वर्षों में अपना निर्णय दे देगी। अतएव, सरकार या तो इस विधान का त्याग कर दे या इसे स्थायीरूप दे दे और यह बात भविष्य पर छोड़ दे कि इसे हटाया जाये या कि इसमें संशोधन किया जाये। यदि ऐसा हो जाता है तो प्रेस आयोग को भी अपनी रिपोर्ट देने के लिये काफी समय मिल जायेगा। पत्रकार स्वयं इस विधान को अधिक महत्व नहीं देते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि इस विधान में कोई जान नहीं और इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं।

मैं जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री को किस प्रकार के साहित्य के सम्बन्ध में आपत्ति है? अखिल-भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन स्वयं यह अनुभव करता है कि वह अपने उपर अनुशासन रख कर काम कर सकता है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रेस स्वतंत्रता से काम कर सके। उस पर सरकार की ओर से प्रतिबन्ध न लगाये जायें। यदि किसी अधिकारी के बारे में पत्रों में कोई बुरी बात भी प्रकाशित हो जाये तो क्या हुआ? समाज ऐसा चाहता है इसीलिये तो ऐसा होता है। यदि लोग न चाहें तो पत्र बिकेगा कैसे? समाचारपत्रों का वाणिज्यिक पहलू भी होता है। और यदि पत्र में किसी के बारे में कोई आपत्तिजनक बात लिखी गई है तो सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय में मानहानि का दावा कर सकता है। क्या अन्य देशों में इस प्रकार का साहित्य प्रकाशित नहीं होता है? फिर हमारे ही देश में इतने प्रतिबन्ध लगाने का क्या अर्थ है? यह भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे समाचारपत्र हैं जो हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं और लोगों की वृत्ति आपराधिक बना देते हैं। मैं कहता हूं कि यदि कोई पत्र इस प्रकार का प्रचार करता है तो आप उसके विरूद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है। मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। जब आपके पास छपा हुआ आपत्तिजनक मामला तैयार है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं कर सकते हैं? आप प्रेस को एक अलग संस्था के रूप में देखते हैं और इसके लिये साधारण कानून से भिन्न एक पृथक कानून रखना चाहते हैं, परन्तु ऐसा करने में सरकार का दष्टिकोण सभ्य तथा युक्तियुक्त नहीं है।

१९५२ के लिये जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता लगता है कि इस कानून का लगभग छः सौ बार उल्लवंन किया गया है। सरकार ने लगभग ५० प्रतिशत मामलों में कार्यवाही की थी। ८ राज्यों में १ से लेकर १० बार तक उल्लघंन किया गया था। चार या पांच राज्यों में इसका बिल्कुल भी उल्लघंन नहीं किया गया था। इसका सबसे अधिक उल्लघंन बम्बई और पश्चिमी बंगाल में किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कितने मामलों में ज़मानत ज़ब्त कर ली गई थी और कितने मामलों में ज़मानत मांगी गई थी। मैं चाहता हूं कि यह बातें विस्तार में बताई जायें।

अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही प्रेस पर बराबर प्रतिबन्ध लगते चले आ रहे हैं। प्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ कर भाग

[श्री वल्लाथरास]

लिया है । उसने भी कष्ट सहे हैं । फिर अब समाचारपत्रों पर वह प्रतिबन्ध फिर से लादने की क्या आवश्यकता है ? उन्हें भी स्वतंत्रता की सांस लेने दीजिये । जब आप इस कानून का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे बनाये रखने का क्या लाभ है। मैं चाहता हूं कि प्रैस पूर्णरूप से स्वतंत्र रहे।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो मैं चाहता हूं कि शान्त वातावरण में इस पर विचार किया जाये । अतः मेरा निवेदन है कि साम्यवादी दल के सदस्यों को सदन में वापस आने की अनुमति दे दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो स्वयं यही चाहता हूं पर इस सदन का कार्य भी तो चलाना है। यदि वे इस बात पर तैयार हैं कि किसी वक्ता के भाषण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अन्तर्बाधा नहीं डालेंगे तो मुझे उनको वापस आने देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब यह विधेयक दो वर्ष पूर्व संसद के सामने आया था, तो पंडित कुंजरू ने कहा था कि इस असाधारण क़ानून को उचित ठहराने के लिये कोई ठोस सबूत होने चाहियें । प्रवर समिति में उन्होंने फिर यही बात दोहराई परन्तु न तो सदन में और न ही प्रवर समिति में तत्कालीन गृह मंत्री ने इसके कोई सबूत दिये । श्री शिवा राव ने, जो अखबारी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और उत्तरदायी व्यक्ति हैं, अपने भाषण में कहा था कि बीस वर्ष हुए अंग्रेज़ों ने जब यह क़ानून लागू किया था तो उन्होंने इसके लिये ऐसे प्रमाण दिये थे जिनका खंडन नहीं किया जा सकता था । श्री शिवा राव ने कहा कि अब इस समय ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिये गये हैं । हमारे गृह मंत्री पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये किसी अपराधी जाति के लोग हों जिन्हें मामूली क़ानूनों से शासित नहीं किया जा सकता । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस क़ानून की अवधि क्यों बढ़ाना चाहते हैं । उद्देश्य और कारण के विवरणों में इस विषय में एक शब्द भी नहीं दिया गया है कि इस क़ानून की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है । उसमें केवल इतना कहा गया है कि वर्त्तमान प्रेस क़ानूनों पर प्रेस आयोग द्वारा विचार किया जायेगा और वह इस संबंध में अपनी सिफ़ारिशें देगा । इस बीच इस क़ानून को लागू रखना बहुत ज़रूरी है । परन्तु मुझे यह पता लगा है कि प्रेस आयोग से तो राय ही नहीं ली गई । उनसे इस बारे में एक प्रश्न भी नहीं पूछा गया । ऐसी आशा है कि राजाध्यक्ष समिति मई या जून तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी । मैं माननीय डा० काटजू से पूछना चाहता हूं कि क्या बिना इस क़ानून के वह छः महीने भी भारत का शासन नहीं चला सकते ? इसके बिना हम पर कौन सी मुसीबत आजायेगी जो इसका लगाना इतना ज़रूरी है ? ठोस सबूत तो अलग रहे, हमारे सामने कोई भी सबूत नहीं रखा गया है । डा० काटजू कहा कि कुछ अखबार उनकी व्यर्थ में बदनाम कर हैं । उन्होंने कहा कि जब वह कल्यानी गये थे तो कुछ अखबारों ने उन के बारे में यह उड़ा दिया कि उनके लिये कल्यानी में पूरे पूरे आराम की व्यवस्था नहीं थी इस लिये बार बार उन्हें कलकत्ते जाना पड़ता था । डा० काटजू ने इन चीज़ों का ज़िक्र किया । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या इसी कारण वह इस क़ानून की अवधि बढ़वा रहे हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इसी तरह उन्होंने पश्चिमी बंगाल के कुछ पत्रों की चर्चा की । उन्होंने उन पत्रों के नाम नहीं बताये, परन्तु मैं उनसे बताना चाहता हूं कि कलकत्ते के अखबार जितने अनुशासन से काम करते हैं उतना कोई नहीं करता । गन्दे और सस्ते अखबार कहां नहीं होते ? दुनियां के हर देश में ऐसे अखबार होते हैं । प्रजातंत्रात्मक देशों में जनता की स्वतंत्रता का सब से बड़ा आधार एक स्वतंत्र प्रेस है । आप इस स्वतंत्रता में कमी न कीजिये । कुछ अखबार तो ऐसे होते ही हैं जो लोगों की बदनामी करने में मज़ा लेते हैं परन्तु ज्यादातर अखबार उत्तरदायित्व और अनुशासन से ही काम लेते हैं ।

अब आप यह देखिये कि इस क़ानून का प्रभाव क्या हुआ है ? मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि जहां तक अश्लीलता को रोकने का संबंध है इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है । या तो शासन अकुशल है या पुलिस ईमानदार नहीं है या कुछ ऐसे नीच लोग हैं जो इन सस्ते और गन्दे अखबार वालों की सहायता करते हैं । क्या जिस अखबार की आपने निन्दा की थी, उसे हज़ारों रुपये के सरकारी विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं ? जब आप सोचते हैं कि इस प्रकार के अखबारों को दबाना चाहिये तो फिर आप क्यों उन्हें अपने विज्ञापन देते हैं ?

जहां तक अश्लील अखबारों का प्रश्न है, हम सब यही चाहते हैं कि इन्हें पूरी तरह दबाया जाये । कुछ दिन हुए मुझे अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के प्रधान से मिलने का अवसर मिला । उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि संगठित समाचार पत्रों का निश्चय ही यह मत है कि अश्लील और सस्ते पत्रों को दबाया जाये । परन्तु आपने इसके लिये क्या उपाय किये हैं इन दो वर्षों में सारे देश में जहां १०,००० अखबार हैं, केवल ८६ मुक़दमे चलाये गये यानी एक वर्ष में केवल ४३ । माननीय गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि इन ८६ मामलों में से कितने सफल हुए ? दिल्ली के बारे में तो मुझे पता है कि यहां अधिकतर मुक़दमे असफल ही हुए हैं । ये मुक़दमे अश्लीलता या सनसनीदार खबरों को रोकने के उद्देश्य से नहीं चलाये गये थे, बल्कि इनके पीछे राजनैतिक उद्देश्य था । इस क़ानून को किसी और उद्देश्य से काम में लाया जा रहा है । इसी वजह से हम यह चाहते हैं कि इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाये । यदि आप अखबारवालों के साथ सामान्य जनता जैसा व्यवहार करना चाहते हैं तो उनके लिये अलग क़ानून या अलग दंड विधान न बनाइये । वर्त्तमान प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में निरकुंशता से काम लेना उचित नहीं है । इस विधेयक की इस समय कोई ज़रूरत नहीं है । आप राजाध्यक्ष आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें और इस सदन को उस रिपोर्ट का पूरी तरह अध्ययन करने दें ताकि वह यह फ़ैसला कर सके कि इस क़ानून की अवधि बढ़ाना ठीक है या नहीं ।

५ म० प०

अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन ने भी अपने एक संकल्प में यह विचार प्रकट किया था कि इस क़ानून की अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ; जिस उद्देश्य को लेकर यह क़ानून बनाया गया है वह वर्त्तमान क़ानूनों से पूरा हो ही जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप यह न समझें कि देश की सुरक्षा को कोई खतरा है, तब तक इस असाधारण कानून को लागू

[श्री एन० सी० चटर्जी]

न करें। यदि आप लोगों को अनुचित रूप से दबायेंगे तो उनमें घृणा उत्पन्न हो जायेगी और घृणा से स्थायी सरकार के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इस क़ानून के द्वारा आप एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन नहीं हो सकता।

जैसा जस्टिस मुकर्जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, प्रेस की बुराइयों को दूर करने के लिये एक प्रेस परिषद् की स्थापना होनी चाहिए जिसमें समाचार पत्र सम्मेलन, श्रमजीवी पत्रकार संघ और अखिल भारतीय विधिजीवी संघ तथा चिकित्सक संघ आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि हों। इस प्रकार की परिषद् समाचार-पत्रों की अश्लीलता को हमेशा के लिये दूर कर सकती है। मैं यह नहीं चाहता कि आप अखबार वालों को बेरोक-टोक पूरी स्वतंत्रता दे दें; परन्तु आप उनकी स्वतंत्रता को उचित रूप से नियमित करें। सामान्य क़ानूनों के अन्तर्गत आपको बहुत कुछ अधिकार हैं और इस क़ानून को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डा० कृष्णास्वामी : मैं इस विधेयक का सर्वथा विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सार्वजनिक स्वतन्त्रता को बढ़ावा देने की इच्छा वाले सब लोग इस से घृणा करते हैं।

मुझे पूर विश्वास है कि इस विधेयक को बिना कारण पुरःस्थापित किया गया है। गृह मंत्री ने भी सरकार के उद्देश्यों और प्रयोजनों का उल्लेख नहीं किया। मैं ने पहले भी विधेयक पर विचार करने के प्रति आक्षेप किया था कि यह विधेयक नियम-विरुद्ध है। जब तक किसी विधेयक के प्रवर्तन के संबंध में मान्य प्रमाण न हों उसे जारी कैसे रखा जा सकता है ?

इस विधेयक द्वारा एक आपत्तिजनक अधिनियम की कालावधि बढ़ाई जा रही है। इससे समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जाता है। अतः यह अत्यंत प्रतिबंधात्मक विधेयक है। गृह मंत्री को इस का विशद विवेचन करना चाहिये कि इस अधिनियम को क्यों पुनः अधिनियमित किया जाए। जब कभी गृह मंत्री से प्रश्न किया जाता है वे भोले और अनजान बनकर कह देते हैं कि हम और कुछ नहीं जानते परन्तु आप स्वयम् अनुभव करेंगे कि इस विधेयक का मूल्य क्या है।

गत सत्र में सरकार ने इस विधेयक को उच्चतम प्राथमिकता नहीं दी थी। इस लिए सदस्यों ने यह समझ लिया था कि यह अधिनियम समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा हुआ कि एक अध्यादेश द्वारा उस समाप्त होने वाले अधिनियम की कालावधि बढ़ा दी गई। अब गृह मंत्री को यह बताना चाहिये कि अध्यादेश के लागू करने के पश्चात् कितने मामले चलाये गये हैं। गृह मंत्री का समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम प्रकट करना और साथ ही इस प्रकार का बरताव करना ठीक नहीं है।

सर्व प्रथम जब यह विधान १९५१ में संसद् में प्रस्तुत किया गया तो उस वाद विवाद में स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिए एक साहसपूर्ण संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के चार बड़े साहसी नेता डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी, डा० लक्ष्मी कांत मैत्रा, लाला देशबन्धु गुप्त और आप थे। आप को अब भी हमारा समर्थन करना चाहिये।

श्री राजगोपालाचार्य ने एक बहुत असाधारण तर्क प्रस्तुत किया था कि यह अधिनियम वस्तुतः लागू नहीं किया जायेगा।

मेरा विचार है कि वर्तमान गृह मंत्री इस प्रकार का तर्क नहीं देंगे ।

माननीय मंत्री को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये । वे बतायें कि यह आपत्तिजनक अधिनियम जारी रखने की क्या आवश्यकता है ? उन्होंने ऐसे कौन से मामले देखे हैं जिन से इस की कालावधि बढ़ाने की आवश्यकता पैदा हो गई है ? इस समय की साधारण परिस्थितियों में इसे जारी रखने की क्या आवश्यकता है ? इस से मूलभूत महत्व के प्रश्न पैदा होते हैं । यही दृष्टिकोण अधिकांश सदस्यों का है चाहे वह किसी भी पक्ष के हों ।

१९५१ के वाद विवाद में आप ने ही माननीय सदस्यों की भावनाओं का सार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यदि यह विधेयक विधि बन गया तो यह समाचारपत्रों की स्वतन्त्रताओं का मूलतः नाश कर देगा । वह वक्तव्य आज भी उतना ही सत्य है । हम लोकतन्त्रात्मक राज्य में लोकतन्त्रात्मक गृह मंत्री से यह आशा करते थे कि वह एक श्वेत पत्र जारी करेंगे जिस में इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने के कारण दिये जायेंगे । परन्तु उन में इस सदन की भावनाओं के प्रति शिष्टाचार नहीं है ।

प्रावैधिक रूप से भले ही यह विधेयक संविधान के विरुद्ध न हो, परन्तु यदि आप 'आपत्तिजनक विषय' की विस्तृत परिभाषा को लें तो यह संविधान का उल्लंघन ही है । आप कह सकते हैं कि अहिंसात्मक कार्यों का प्रोत्साहन अवश्य दबाना चाहिये । परन्तु संविधान के अनुच्छेद १९(१) के अधीन यह नियंत्रण उपयुक्त प्रतिबंधों द्वारा किया जाना चाहिये । इस उपयुक्तता का निर्णय संसद् राजनैतिक परिस्थितियों और विधेयक के उद्देश्य के आधार पर कर सकती है । परन्तु गृह मंत्री ने न तो इन परिस्थितियों को ही स्पष्ट किया है, और न ही यह बताया है कि उपयुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए क्या साधन अपनाये जायेंगे ।

विधान मंडल का यह सर्व प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह प्रतिबंधों की उपयुक्तता को देखे । इस लिए केवल संवैधानिक दृष्टि से विधेयक की जांच करने से हमारा दायित्व पूर्ण नहीं हो जाता । हमें 'आपत्तिजनक विषय' की परिभाषा की पूर्ण जांच करनी पड़ेगी । इस विशाल परिभाषा के अन्तर्गत अभिव्यक्ति का सारा क्षेत्र आ जाता है । आपत्तिजनक विषय की कुछ मदों में यह कहा गया है कि अहिंसा, विध्वंस, खाद्यान्न के वितरण संभरण आदि में बाधा डालने, सशस्त्र सेना के किसी व्यक्ति को फुसलाना और भारत के लोगों के विभिन्न वर्गों में बैर उत्पन्न करना इत्यादि आपत्तिजनक विषय हैं । इस प्रकार यह प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्रकाशन की स्वतन्त्रता दोनों पर लागू होता है ।

माननीय मंत्री भली प्रकार जानते हैं कि यदि कोई विषय गलती से प्रकाशित हो जाए तो भी समाचारपत्र अपनी सद्भावना दिखा कर छुटकारा नहीं पा सकता । तब प्रेस को दंड विधान अधीन रक्षण से क्यों वंचित किया जा रहा है ? आपत्तिजनक विषय का और विश्लेषण करें तो किसी अपराध के लिए उत्तेजना देने की बात ता समझ में आती है परन्तु प्रोत्साहन का अभिप्राय तो किसी ऐसे व्यक्ति का अनुमोदन करना भी है जो पहले ही किसी अपराध की इच्छा रखता हो । अतः अनावश्यक अभियोगों से कैसे रक्षा हो सकती है ? भले ही राज्य सरकारों ने अनावश्यक अभियोग न चलाए हों परन्तु इस से सरकार को समाचारपत्रों में भेदभाव करने का अवसर मिल जाता है । विशेषतः इस विस्तृत उपबंध के अधीन

[डा० कृष्णास्वामी]

सरकार को पक्षपात का खेल खेलने के लिए खुला क्षेत्र मिल जाता है । मंत्री ने इस उपबंध के विस्तार का कोई कारण नहीं बताया। वें विस्तृत विधानों के प्रेमी बन गये हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इन्हें सुगमता से पारित करवाया जा सकता है । इस से उन्हें सभा की जांच के लिये मूल अधिनियम प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है । उनका यह कह देना कि यदि आप संतुष्ट नहीं तो मुझे पद से हटा दीजिए अन्यथा विधेयक को पारित कीजिये, ठीक नहीं ।

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम की अन्य धाराओं को लीजिये । उन के अनुसार दण्ड का अभिप्राय सख्त दण्ड है । इस से तो सच्चे पत्रकार ठीक ही यह अनुभव करेंगें कि वे निरन्तर भय की स्थिति में रह रहे हैं । यह अधिनियम स्वतन्त्र पत्रकारों पर ही आघात करता है, जो प्राधिकारियों के रोष अथवा प्रसन्नता की परवाह नहीं करते । यह कहने पर भी कि उन्होंने जो लेख प्रकाशित किया है वह सत्य पर आधारित है वह नहीं बच सकते । इस पर माननीय मंत्री और उनके मित्रों का यह कहना कि वे उत्तरदायी प्रेस का निर्माण कर रहे हैं कितना बड़ा मज़ाक है । पत्रकारों द्वारा नैतिकता अथवा शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन करने की अवस्था में उन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये वर्तमान दण्ड विधान में पर्याप्त उपबंध हैं ।

माननीय मंत्री ने तथा कथित अश्लील साहित्य के कुछ अंश पढ़ कर सुनाये हैं । यदि ऐसा साहित्य वस्तुतः शिष्टाचार और नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करता है तो उन लेखकों पर दण्ड विधान लागू किया जा सकता है । साथ ही जनता में एक रचनात्मक विचारधारा उत्पन्न करने से पत्रकारों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया जा सकता है ।

मेरे माननीय मित्र ने पत्रकारों के परिषद् की बात कही है । भला प्रबंधक सम्पादक पत्रकारिता के नैतिक नियमों के सम्बन्ध में क्या जानते हैं ? व्यावसायिक सदाचार सम्बन्धी परिषद् सरकारी अधीक्षण में सफल नहीं रह सकता है । आज की कठिन परिस्थितियों में हमें अधिक स्वतन्त्र प्रेस की आवश्यकता है ।

मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि देशी भाषाओं के पत्र किस स्वतन्त्रता से व्यक्तित्वों पर आक्षेप करते हैं । परन्तु अन्य पत्र उन का विरोध भी तो कर सकते हैं । अभी अभी श्री चटर्जी ने बताया है कि कुछ प्राधिकारी गुप्त रूप से अनुत्तरदायी पत्रकारों को बातें बता देते हैं और जब यह बातें छप जातीं हैं तो उनको अपने किये पर गर्व होता है । सरकारी क्षेत्र की नैतिकता में भी तो सुधार की आवश्यकता है ।

मेरा सुझाव है कि अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा कर प्रेस को स्वतन्त्र कर देना चाहिये । स्वतन्त्र समाचारपत्रों द्वारा ही पत्रकारिता के विकास और प्रगति के लिए उचित वातावरण बन सकता है । यदि माननीय मंत्री 'आपत्तिजनक विषय' के क्षेत्र को सीमित न कर केवल दण्ड को ही हल्का करने का उपबन्ध करते तो हमें कुछ तो संतोष होता ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं समझता हूं कि दण्ड जितना ही हल्का हो उतना ही वह प्रेस तथा लोकतन्त्र के लिये अच्छा है। माननीय गृह-कार्यमंत्री ने कहा कि हमें चाहिये कि इस देश में एक जिम्मे-

दार प्रेस स्थापित करें परन्तु ऐसा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या ऐसे अधिनियम पास करने से हमारा प्रेस अधिक जिम्मेदार बन सकता है ? इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य नहीं है । केवल मात्र साक्ष्य यह है कि प्रेस आयोग बनाया गया है जो इस मामले में जांच करेगा । और इस जांच के परिणाम जान कर माननीय मंत्री इस बात का निश्चय करेंगे कि यह अधिनियम जारी रहना चाहिये या नहीं । क्या माननीय गृह-मंत्री सदन में यह आश्वासन दे सकते हैं कि यदि आयोग इस अधिनियम को समाप्त करने की सिपारिश करे तो वह इसका निरसन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे ? वह सिर तो हिला रहे हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि वह यह आश्वासन देने को तैयार हैं । मैं समझता हूं कि प्रेस को अधिक स्वतंन्त्रता दी जानी चाहिये ताकि हमारे लोक तन्त्र में यह आगे बढ़ सके । हमारे पत्रकारों में तभी लोक सेवा की भावना आ सकती है जब हम उनके लिये एक उचित वातावरण सुनिश्चित करें और जब उनको हर समय यह डर न रहे कि उन पर कहीं अभियोग न चलाया जाये ।

सदन का कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति ने सोच-विचार करके क्या निर्णय किया है । सदन की बैठकों की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है । यह इस लिये किया गया है कि हम निष्क्रांत निक्षेप स्थानान्तरण विधेयक को निपटा लें । क्योंकि यह सब कुछ १३ मई की शाम से पहले पारित किया जाना आवश्यक है, सदन की बैठक का समय इस प्रकार होगा :

कल सदन की बैठक १ म० प० से ७ म० प० तक रहेगी और परसों अर्थात् शुक्रवार को १ म० प० से ७.३० म० प० तक । शनिवार को १ बजे से ५ बजे तक बैठक होगी और फिर एक घंटे के लिये सभा स्थगित होगी और ६ बजे से ७ बजे तक पुनः बैठक होगी । मैं अनुमान लगाता हूं कि सभा समिति की सिपारिशों को स्वीकार कर रही है ।

(प्रेस आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक

श्री वेंकटा रमन : दूसरे पक्ष से तीन ऐसे जोरदार भाषण दिये गये हैं जिनके मुकाबले में मेरा भाषण कुछ भी नहीं होगा । उन्होंने जो विन्दु उठाये हैं मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

पहली बात यह कही गई है कि यह सदन इस विधेयक को पारित करने के सक्षम नहीं है । परन्तु १९५१ में यह प्रभावी हुआ और तब से किसी ने न्यायालयों में इस अधिनियम के प्रति विरोध नहीं किया है । इससे यह बात स्पष्ट है कि यह संविधान की भाषा तथा भावना के अनुकूल है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

श्री एन्थनी ने (प्रेस आपत्ति जनक विषय) अधिनियम, १९५१ की धारा ३ के कुछ शब्दों पर आपत्ति की । यदि यह मान भी लिया जाये कि कुछ शब्द अनुचित हैं फिर भी न्यायालय यह निर्णय नहीं दे सकता कि सारा अधिनियम शक्ति परस्तात है । इस लिये श्री एन्थनी तथा श्री चटर्जी द्वारा उठाया गया विन्दु कि यह सदन इस विधेयक को पारित करने में संविधान द्वारा निश्चित सीमा से बाहर जायेगा, सिद्ध नहीं होता ।

श्री वल्लाथरास ने कहा कि बोले गये शब्द लिखे गये शब्दों से भी अधिक हानि-

[श्री वेंकटा रमन्]

कारक हो सकते हैं और इस लिये कथित शब्द के लिये लिखित शब्द से भी अधिक सख्त दण्ड दिया जाना चाहिये। इस विन्दु का उत्तर देने में कोई विशेष तर्क तो देना ही नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि एक मौखिक भाषण केवल उपस्थित व्यक्तियों द्वारा सुना जाता है और लिखित भाषण संसार का कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। जो शब्द केवल बोले जायं वह तो मौजूद नहीं रहते, परन्तु एक लिखित विषय सदा के लिये अभिलिखित रहता है। तीसरी बात यह है कि मानव की स्मरण-शक्ति इतनी प्रबल नहीं कि कोई बात सुन कर सदा के लिये याद रहे। इसके विपरीत लिखित विषय तो सदा ही सामने रहता है। इस लिये यह आवश्यकता पड़ी है कि मौखिक शब्दों को छोड़कर लिखित विषयों के सम्बन्ध में एक विभिन्न विधान बनाया जाये। यही बात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित सूचना की स्वतंत्रता सम्बन्धी उपायोग ने अपने प्रतिवेदन में भी कही है। इस उपायोग ने कहा है कि सड़क पर चार व्यक्तियों के प्रति बुरे शब्द कहने के अधिकार और समाचार पत्र, रेडियो अथवा टेलिविजन केन्द्र खोलने के अधिकार में बहुत अन्तर है। इस लिये कोई भी चीज़ लिखने छपाने तथा प्रकाशित करने की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखना आवश्यक है।

एक और बात जो कही गई है वह यह है कि यह विधान इतना विस्तृत है कि इससे भारत की जनता को अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य के मूलाधिकार से वंचित रखा जायेगा। डा० कृष्णस्वामी ने कहा कि परिभाषायें अति विस्तृत हैं। यह तो मानी हुई बात है कि अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य की भी सीमा होती है और एक सभ्य समाज में स्वातन्त्र्य सर्वथा सीमारहित नहीं हो सकता। जहां प्रकाशन का अधिकार प्राप्त है वहां साथ ही कुछ नैतिक सिद्धांत भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में प्रेस पर कुछ आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कहा है कि स्वातन्त्र्य के साथ प्रेस के कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। इस लिये दूसरों के अधिकार तथा मान और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, अपराध तथा आतंक के निवारण अथवा लोक-स्वास्थ्य तथा नैतिकता के संरक्षण के लिये इस स्वातन्त्र्य को सीमित किया जाना चाहिये। यह सीमायें विधान में स्पष्ट तथा परिभाषित होनीं चाहियें और इन को विधि अनुसार ही लागू किया जाना चाहिये। प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम का भी यही उद्देश्य है।

जब यह बात मानी जाय कि स्वातन्त्र्य के साथ कुछ कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व भी होते है, फिर हम यह देख सकेते हैं कि हमारे अधिनियम की धारा ३ में कुछ अत्यधिक प्रतिबन्ध रखे गये हैं या नहीं। सूचना स्वातन्त्र्य सम्बन्धी प्रतिवेदक ने विभिन्न देशों की विधियों का परीक्षण किया और भारत के इस अधिनियम की केवल एक बात पर आलोचना की। उसने कहा है कि १९५१ के प्रेस अधिनियम में "आपत्तिजनक विषय" की परिभाषा अधिक विस्तृत है और इस के अन्तर्गत कोई "ऐसे शब्द, चिन्ह अथवा अन्य प्रकाशन जो भारत की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता अथवा वैर पैदा करें" भी रखे गये हैं। यही बात भारत ने अधिकांश देशों में रखे गये प्रतिबन्धन की शर्तों के इलावा रखी है। और यह इस लिये कि यहां सम्प्रदायों के बीच शत्रुता अथवा बैर पैदा न हो जाये और भारत जैसे देश के लिये यह उपबन्ध रखना आवश्यक है। इस प्रतिवेदक ने आगे चलकर कहा

है कि स्वातन्त्र्य की वास्तविक सीमा इस बात पर निर्भर होगी कि इस प्रकार के विधानों की कैसे व्याख्या की जाती है और किस रूप में इसका प्रवर्तन किया जाता है। हमारे देश में भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया गया है। यदि किया गया होता तो इस विधान का विरोध करने वाले सदस्यों ने ऐसे मामलों का उद्धरण दिया होता।

मेरे पास सारे राज्यों के आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु मुझे मद्रास राज्य के बारे में पूरी जानकारी है। वहां जुलाई, १९५३ तक १४ मामलों में इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया। १३ मामलों में तो अश्लील विषय प्रकाशित किये जाने का अपराध था और एक मामले में और कोई बात थी। "वेत्रिमारासु" नामक एक समाचार पत्र के बारे में सरकार ने २,००० रुपये की प्रतिभूति की मांग की थी, परन्तु न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) ने केवल ३०० रुपये की प्रतिभूति का आदेश दिया। यह घटना अगस्त, १९५२ में हुई थी। इस लिये यदि १४ मामलों में से १३ में अपराध यह था कि अश्लील विषय प्रकाशित किये गये थे, तो यह स्पष्ट ही है कि अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अतः यह कहना कि राजनैतिक अभिप्राय से इस अधिनियम का अनुचित उपयोग किया जाता है, गलत बात है। और यह भी गलत है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग करके मंत्रियों की आलोचना का दमन किया जा रहा है। इस प्रकार कई और अश्लील पत्रिकाओं के विरुद्ध मद्रास सरकार ने कार्यवाही की है। इन सब मामलों में केवल प्रतिभूतियां ली गई हैं। एक मामले में समाचार पत्र के सम्पादक को जब दण्ड दिया गया तो यह पत्र यह बात प्रकाशित करता रहा कि सम्पादक कारागार में है जैसे कि यह कोई गर्व की बात थी। ऐसे पत्र पत्रिकाओं को ठीक रास्ते पर लाने का एक ही ढंग है और वह यह कि उन्हें ऐसे अश्लील विषय प्रकाशित करने के साधनों से वंचित किया जाये।

मैं यह दिखाने का प्रयत्न कर रहा था कि किस प्रकार के और कितने ऐसे मामले होते हैं जिनके सम्बन्ध में हमें कार्यवाही करनी पड़ती है। प्रेस का तो जनता पर इतना प्रभाव है कि सरकार इस के सम्बन्ध में विशेष विधान रखने पर मजबूर है। इस अधिनियम का अभिप्राय अपराधी को पहली बार केवल चेतावनी देना है। दण्ड तो बाद में दिया जाता है। यदि यह एक दण्ड विधान होता तो किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की धारा ३ का उल्लंघन करने पर सीधे ही दण्ड दिया जाता। जब कोई मामला पहली बार न्यायालय के सामने आता है तो यदि न्यायालय यह निर्णय दे कि अपराध हुआ है तो प्रतिभूति ली जाती है। केवल दूसरी बार अपराध करने पर दण्ड दिया जाता है।

६ म० प०

एक और तर्क यह दिया गया है कि भिन्न प्रेस ऐसोशियेशनों तथा पत्रकारों को स्वयं ही कुछ नैतिकता के नियम बनाने चाहिये और सरकार को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि सूचना स्वातन्त्र्य सम्बन्धी उपायोग ने अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता नियम बनाने के उद्देश्य से संसार भर की विभिन्न ५०० पत्रकार संस्थाओं आदि को आमंत्रित किया परन्तु केवल ५७ से उत्तर प्राप्त हुआ। यह प्रयास असफल रहा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस काम में असफलता हुई और मेरा विचार है कि आजकल के हालात में पत्रकार संस्थाओं आदि को कहना कि वे स्वयं अपने लिये नैतिकता के नियम बनायें, सम्भव नहीं।

[श्री वेंकटा रमन्]

अब केवल एक मामला बाकी है जिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक संशोधन रखा गया है जिसका उद्देश्य सभ्यगण के अधिकारों और न्यायाधीश के अधिकारों को पृथक पृथक रूप से स्पष्ट करना है। दाण्डिक न्याय शास्त्र का एक माना हुआ सिद्धांत यह है कि सभ्यगण सिपारिश कर सकता है परन्तु न्यायाधीश ही निर्णय देता है और उस पर सभ्यगण की सिपारिश बाध्य नहीं। यही बात इस संशोधन द्वारा भी स्पष्ट की जा रही है। इसके प्रति एक ही आपत्ति उठाई जा सकती है, वह यह कि प्रेस आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक यह संशोधन न किया जाये। सरकार इस बात पर गम्भीर विचार कर सकती है। प्रेस आयोग तो सारी बातों के बारे में जांच कर रहा है। इस लिये अच्छा यही है कि जब तक आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त न हो तब तक विधि में कोई संशोधन न किया जाये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हालांकि बहुत से वक्ताओं ने इस अधिनियम की विभिन्न बातों के बारे में कहा है किन्तु इसे प्रस्तुत करने के संवैधानिक औचित्य अथवा संविधि पुस्तक में इस अधिनियम को जारी रखने के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। संविधान के अनुच्छेद १९ में कहा गया है कि सब नागरिकों को वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार होगा। यदि कोई वकील अनुच्छेद १९ उपखंड २ का अध्ययन करे तो उसे पता चलेगा कि इस उपखंड में जिन प्रतिबन्धों का निर्देश है वे सभी भारतीय दंड-संहिता में निहित हैं अतः यह विधि बेकार सी प्रतीत होती है। अश्लील भाषा के प्रयोग, अश्लील साहित्य के प्रकाशन अथवा अश्लील सामग्रियों के प्रकाशन के लिए तो भारतीय-दंड-संहिता की धारा २९२ अथवा २९३ के अधीन दंड दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध यदि अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है तो धारा ४९९ के अधीन दंड दिया जा सकता है। इस प्रकार अन्य धारायें भी इस कार्य में सहायता करती हैं। तो फिर प्रेस को दिये गये स्वातन्त्र्य को रोकने के लिए आप यह नया उपबन्ध क्यों बना रहे हैं? निवारक निरोध अधिनियम की चर्चा करते समय भी इस बात का प्रश्न उठा था। उस समय कहा गया था कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार को भी कुछ मूल भूत अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद १९ उपखंड २ के अनुसार सरकार को यह अधिकार मिलता है। यदि इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता तो सरकार का यह अधिकार समाप्त हो जाता है। उसी दृष्टि से यह उपबन्ध सदन में प्रस्तुत है। हमें यह देखना है कि क्या इस प्रकार प्रेस के स्वातन्त्र्य को कम करना है? पत्रकार व्यवसाय अपनाने से पूर्व निश्चित योग्यता सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध सरकार ने नहीं लगाया है। अतः योग्यता सम्बन्धी प्रतिबन्ध—कि इस व्यवसाय को अपनाने से पूर्व अमुक अमुक परीक्षा पास होना चाहिए—यदि आप कोई लगाते हैं तो यह प्रतिबन्ध उचित प्रतिबन्ध होगा। किन्तु आप उन व्यक्तियों को दंड न दें जो इस व्यवसाय में जन सेवा, देश सेवा भावना, तथा तथ्यों का सच्चा चित्रण करने, और तथ्यों को जनता के सामने स्पष्ट रखना चाहते हैं ताकि जनता उन से अवगत हो जाय, उन से शिक्षित हो जाय। बहुत से पत्रकार बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चला रहे हैं यदि आज कुछ भी कार्यवाही की जाती है तो वह कार्यवाही उन निर्धन व्यक्तियों के विरुद्ध होगी जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। अतः इस विधान को स्थायी बनाने से पूर्व सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि पत्रकार व्यवसाय प्रारम्भ

करने से पूर्व ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह मनुष्य इतना पढ़ा लिखा हो । इस व्यवसाय के लिए कोई उचित ढंग नहीं हैं । अतः शिक्षा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाना तो उचित है किन्तु दंड-सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि न्यायालय में सत्र-न्यायाधीश इन मुकदमों का निर्णय करते हैं और वहां जूरी अपना मत प्रकट करते हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३०५ के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जूरी के सर्वसम्मति वाले निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं । किन्तु सर्वशक्तिमान सत्र-न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जूरी के निर्णय को माने । ऐसे न्यायाधीश के यहां इन के मुकदमों की सुनवाई होनी है । यदि यह उपबन्ध होता कि जूरियों के बहुमत वाले निर्णय अथवा सर्व-सम्मति वाले निर्णय को मानने के लिए सत्र-न्यायाधीश को बाध्य होना पड़ेगा तो उस से इन बेचारे पत्रकारों की कुछ रक्षा होती जो कि अब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं । मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी उचित प्रतिबन्ध हो सकता था उस की व्यवस्था कर दी गई है । अब किसी अन्य प्रतिबन्ध की व्यवस्था करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है । और न यह प्रतिबन्ध उचित ही है । अतः मैं इस का विरोध करता हूं । यह सच है कि आप सर्वशक्तिमान हैं जो चाहे वही कर सकते हैं । किन्तु मेरा निवेदन है कि आप इस शक्ति का उपयोग भले के लिए करें । अपने दिल पर हाथ रख कर यह सोचिये कि प्रेस को जो थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता है उसे समाप्त करने के लिये क्या ऐसा उपबन्ध बनाना उचित है ?

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : हमारा प्रेस पवित्र तथा उच्च है और सर्वोपरि परंपराओं का प्रतीक है । भारतीय प्रेस तथा भारतीय पत्रकारों ने अमूल्य जीवन की एवं धन की उपेक्षा कर के देशभक्ति, पवित्रता, सच्चाई एवं सन्मान का उच्चतम स्तर बनाया है एवं सदैव ही उस की रक्षा की है । पश्चिम के प्रेसों की अपेक्षा हमारे यहां का प्रेस मात्रा एवं गुणों की दृष्टि से भी बहुत उच्चतर है । सन् १८३० का भी एक ज़माना वह ज़माना था जब कि श्री मोतीलाल सरीखे व्यक्ति के भाषण की सूचना प्रकाशित करने पर सम्पादकों को जेल हो सकती थी । सैय्यद अबदुल्ला ब्रेलवी को भी इसी प्रकार की सूचना प्रकाशित करने पर जेल जाना पड़ा था । इस प्रकार सम्पादकों को यातनाएं उठानी पड़ी थीं । १९५१ के विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमें बताया गया था कि यह केवल दो वर्ष के लिए है । किन्तु और दो वर्षों के बढ़ाने के लिए आज हम से कहा जा रहा है क्योंकि प्रेस आयोग अभी तक इस मामले की जांच कर रहा है ।

यह सच है कि इस प्रेस आयोग में गणमान्य व्यक्ति हैं । इस आयोग के प्रतिवेदन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कहा जाता है उन का प्रतिवेदन इस वर्ष-जून तक तैयार होगा । प्रतिवेदन शीघ्र से तैयार करने के लिए सरकार आयोग से कह सकती है । इस के तैयार हो जाने के बाद विधि मंत्रालय भी ६ महीने लेगा; और उस के बाद सदन में आने पर वे ६ महीने और मांगेंगे । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारतीय दंड-संहिता के उपबन्ध काफ़ी हैं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि विधान की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं । अतः दंडनीय अपराध किये बिना उसे दोषी न ठहराया जाय । एक सम्पादक को दोषी ठहराने, उसे जेल भिजवाने, उस की सम्पूर्ण सम्पत्ति को जब्त करने के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध भी काफ़ी हैं । जब व्यवहार विधि से इतनी सहायता ली जा सकती है तो फिर इस प्रकार के अधिनियम की सरकार को और क्या आवश्यकता है ?

[श्री जोकीम आल्वा]

पिछली बार विधेयक का समर्थन दो कारणों से मैं ने किया था । यदि जनता और सम्पादक प्रेस के मिथ्या प्रचार की देखरेख करने में समर्थ नहीं हैं तो सरकार यह कार्य करेगी । उस समय समाचार पत्र सम्मेलन से मुझे निकालने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । किन्तु मैं ने वही किया जो मुझे उचित जंचा ।

यदि हमारे सम्पादक मिलकर यह कहें; यदि प्रांतीय प्रेस मंत्रणा समितियां मिलकर यह कहें कि अमुक समाचार पत्र ने गलती की है तो उस पत्र के सम्पादक को अभियुक्त बनाने की छूट सरकार को होगी । अच्छा उपाय तो यह है कि यदि मंत्रणा समिति कोई निर्णय करने में असमर्थ रहती है तो फिर अपने अधिकारों के प्रयोग करने के अतिरिक्त सरकार के लिए कोई और चारा नहीं रह जाता ।

हमें जनता का मत भी तो लेना है । जनता की राय से हमें झल्लाना नहीं चाहिए । यदि एक पत्रकार ने उचित परवाह और सावधानी से कार्य नहीं किया है और सदाशय का अभाव दर्शाया है तो वह विधि के अधीन दोषी है । धाराएं १२४ क, १३१ तथा १५३ क हैं जो राजद्रोह, जल, थल, नभ सेनाओं से सम्बन्धित अपराधों एवं वर्गों में शत्रुता उत्पन्न करने वाली बातों से सम्बन्धित हैं । यदि ये धाराएं काफ़ी नहीं हैं, यदि भारतीय-दंड-संहिता, तथा दंड प्रक्रिया संहिता एक नागरिक की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की तथा राष्ट्रपति की रक्षा करने के लिए काफ़ी नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा ।

मुझे बताया गया है कि पंजाब उच्च-न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों ने निर्णय दिये हैं कि सभी अपराधों के लिये ये अधिकार काफ़ी नहीं हैं ।

यदि ऐसा है तो हमें अब इस अधिनियम का ही संशोधन करना चाहिये । हमें चाहिये कि हम इस अधिनियम में बुनियादी परिवर्तन करें न कि प्रेस की स्वतन्त्रता को नष्ट करने के लिये और भी कठोर उपबन्ध बनावें ।

पुराने अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) के अनुसार 'जूरर' का कार्य करने के लिये, पत्रकार व्यवसाय सम्बन्धी सारे राज्य के व्यक्तियों में से तय्यार की गई एक तालिका से व्यक्तियों को छांटा जायेगा । इस का अर्थ है कि शिमला ज़िले के किसी पत्र के मामले की जांच करने के लिये पंजाब के किसी अन्य ज़िले का व्यक्ति भी 'जूरर' बनाया जा सकता है । किसी एक ज़िले के पत्र के मामले की जांच करने के लिये उसी ज़िले के पत्रकारों में से जूरर नियुक्त किया जाना चाहिये ।

उर्दू, हिन्दी, मराठी, कन्नड़, तामिल, तेलगू तथा महान् बंगाली भाषा के पत्रों के योग से ही भारतीय भाषाओं का प्रेस बना है । भारतीय भाषाओं के प्रेस ने बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है और आज भी कर रहा है । फिर भी यदि उन से कभी किसी की निन्दा हो जाती है या राज्य की शान्ति में थोड़ी भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो मैं उन के पक्ष में एक शब्द भी कहने को तय्यार नहीं हूं ।

वैदेशिक सम्बन्ध अधिनियम के उपबन्ध ऐसे हैं कि यदि कोई पत्र शाहफ़ारुक़ की अनेक पत्नियों की बात प्रकाशित कर दे तो वह संकट में फंस जाये । ऐसे ही देशी नरेशों की रक्षा के लिये भी अधिनियम था और कोई पत्र किसी देशी नरेश के हरम की बात या अप्राकृतिक मैथुन की बात प्रकाशित नहीं कर सकता था । ऐसे समाचार पत्रों के सम्पादकों के साहस की मैं प्रशंसा करता हूं । गुमनाम रहते हुए भी वे प्रेस की आज़ादी के लिये

बलिदान हो गये। इस महान् स्वतंत्रता संग्राम में उन का बहुत बड़ा योगदान है।

प्रेस की स्वतन्त्रता हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिये कि अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन का प्रयोग करे, बराबरी के दर्जे पर सम्पादकों से भेंट करे तथा जो भी शिकायतें हों उन को दूर करने का प्रयत्न करे। इस अवसर पर मुझे लाला देशबन्धु गुप्ता तथा डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी की याद आती है जिन्हों ने प्रेस के अधिकारों के लिये बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा था कि इतिहास में निवारक निरोध अधिनियम तथा प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, दोनों काले कानूनों को जन्म देने का श्रेय डाक्टर कैलाशनाथ काटजू को ही मिलेगा। परन्तु यह ग़लत है क्योंकि प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम को जन्म देने वाले डाक्टर काटजू नहीं वरन् उन के पूर्वगामी राजाजी हैं। माननीय मंत्री ने इस अधिनियम के काल को बढ़ाने के लिये कोई सारगर्भित तर्क नहीं दिया है। इस प्रकार का असाधारण उपबन्ध उसी दशा में बनाया जाना चाहिये जब देश की अवस्था भी असाधारण हो। यह तो माननीय मंत्री का भी कहना नहीं है कि, आज प्रेस की बात तो छोड़िये, मिथ्या प्रचार करने वाले प्रेस का भी हाल ऐसा ख़राब नहीं है जैसा १९५१ में था जब कि यह अधिनियम पहले पहल बनाया गया था। मिथ्या प्रचार करने वाले प्रेस का पक्षपाती कोई भी नहीं है। इस सम्बन्ध में तो किसी प्रकार का मत भेद है ही नहीं। प्रश्न तो केवल यही है कि क्या इस प्रकार का विधान बना कर हम सच्चे, ईमानदार, तथा उच्च कोटि के प्रेस को आघात नहीं पहुंचायेंगे। प्रजातंत्र का आधार तो स्वतंत्र तथा निर्भीक आलोचना ही है। यदि हम इस अधिकार को भी बंधनों में जकड़ देंगे तो इस देश में प्रजातंत्र नहीं पनप सकता। जब यह विधान पहले पहल राजाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो भारत के सभी समाचारपत्रों ने एक स्वर से इस का विरोध किया था तथा ऐसा करने के लिये उन के प्रति घृणा प्रकट की थी। तो क्या वे सभी ख़राब व्यक्ति थे ? उन के विरोध करने का कारण यह नहीं था कि वे मिथ्या प्रचार करने वाले प्रेस का पक्षपात करना चाहते थे।

समाचारपत्रों से जमानत तलब करने का उपबन्ध बहुत ही खराब है तथा इस के स्थान पर होना यह चाहिये कि दोषी सम्पादक पर न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाये तथा उसे दण्ड दिया जाये। इस प्रकार तो प्रेस की स्वतन्त्रता ही खतरे में पड़ती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से समाचारपत्रों पर एक प्रकार की पूर्व सेंसर क्रिया लागू हो जाती है। यह सेंसर-कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है वरन् प्रेस के मालिकों द्वारा किया जाता है क्योंकि उन का पैसा प्रेस में लगा है। धारा ३ में वर्णन किये गये कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे हड़ताल इत्यादि। इस लिये यदि इस प्रकार के समाचारों को कोई समाचार पत्र प्रमुख स्थान दे तो यह कहा जा सकता है कि अमुक समाचारपत्र अमुक अपराध को प्रोत्साहन देता है। तो क्या माननीय मंत्री प्रेस का यह अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं कि वह जनता के सामने महत्वपूर्ण समाचार उचित रूप से रख सके ? इस प्रकार इस विधेयक के उपबन्ध तो पुराने अधिनियम के उपबन्धों से भी अधिक कठोर हैं।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि समाचार पत्रों के सम्बन्ध में, किसी पुस्तक के सम्बन्ध में अथवा किसी दस्तावेज़ के सम्बन्ध में विचार करने के लिये जूरी की व्यवस्था हो मैं आप का ध्यान इस संशोधन

[श्री दमोदर मेनन]

विधेयक की धारा ४ की ओर दिलाऊंगा। पुरान क़ानून में जूरी को यह भी निर्णय करने का अधिकार दिया गया था कि ज़मानत तलब करने की आवश्यकता है या नहीं है। परन्तु अब, जो संशोधन किया जा रहा है, उस के द्वारा जूरी का यह अधिकार कम कर दिया गया है। अब जूरी केवल इतना ही तै करेगी कि उस के सामने रखी गई पुस्तक, समाचारपत्र अथवा दस्तावेज़ में कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं है। १९५१ में जब इस क़ानून के विधेयक की वार्ता का उत्तर राजाजी ने दिया था तो उन्हों ने यही कहा था कि इस विधेयक का सब से महत्वपूर्ण अंश जूरी की प्रणाली ही है। उन्हों ने यह भी कहा था कि मैं तो आशा करता हूं कि भविष्य में प्रेस संगठन इतना दृढ़ हो जायेगा तथा अपने व्यावसायिक आचार-विचार तथा संयम के ऐसे नियम बना लेगा कि उन का स्वयं ही सब से पालन करावेगा तथा अपने निर्णयों को मनवाने के लिये सरकार से वैधायिनी शक्ति की मांग करेगा। राजाजी ने प्रेस को ऐसा उच्च स्थान दिया था। मेरे माननीय मित्र श्रीवेंकटार मन का भी कहना है कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस परामर्श को स्वीकार करेंगे। यदि ज़िला न्यायाधीश को यह अनुभव हो कि जूरी का मत मानने योग्य नहीं है तो वह इस मामले को उच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। फिर भी जूरी के अधिकारों में कमी करने का कारण क्या है। इसी प्रकार अब सरकार निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी ग्रहण कर रही है। ऐसा क्यों? सरकार को इस सम्बंध में अपील करने की इतनी अधिक उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिये और न यही प्रकट होना चाहिये कि सरकार में बदले की भावना है। परन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सरकार दिन प्रति दिन आलोचना से चिढ़ती जाती है। इसीलिये वह इतने अधिक बन्धन लगाना चाहती है। मिथ्या प्रचार करने वाले प्रेस को दबाने का तो केवल एक बहाना है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिये वास्तव में एक भारी खतरा पैदा हो रहा है।

एक और संशोधन "अनधिकृत समाचार-पत्र" की परिभाषा के सम्बन्ध में है। पुराने क़ानून में तो केवल इतना ही था कि यदि किसी पत्र से जमानत मांगी गई हो और उस ने जमानत दाख़िल न की हो तो वह "अनधिकृत समाचारपत्र" समझा जायेगा परन्तु अब जो संशोधन किया जा रहा है उस के अनुसार कोई भी समाचारपत्र जिस में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम न दिया हो अनधिकृत पत्र समझा जायेगा। मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम दिये बिना समाचार पत्र छापने वाले को दण्ड देने के लिये प्रेस रजिस्ट्रेशन अधिनियम तो पहले से मौजूद है। परन्तु उस में जो दण्ड दिया जाता है वह इतना कठोर नहीं है क्या इसी लिये "अनधिकृत समाचारपत्र" की परिभाषा में विस्तार किया जा रहा है? अभी तक तो अनधिकृत पत्र वही हो सकता था जिस ने कोई आपत्ति-जनक विषय प्रकाशित किया हो, जिस से जमानत मांगी गई हो, जिस ने ज़मानत न दाख़िल की हो तथा ज़मानत दाख़िल करने के पहले ही जो कुछ प्रकाशित कर दे। इस प्रकार दोषी प्रेस ही अनधिकृत प्रेस की परिभाषा में आ सकते थे। परन्तु अब तो एक बेगुनाह समाचार पत्र भी जिस में मुद्रक का नाम भूल से छपने से रह गया हो इस परि-भाषा में आ सकता है। इसलिये माननीय मंत्री का यह कहना ग़लत है कि बहुत ही मामूली संशोधन किये गये हैं। संशोधन एक भी ऐसा नहीं है जो साधारण कोटि का हो।

सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये प्रेस आयोग नियुक्त किया है । ऐसा विधान बनाने के पहले माननीय मंत्री को उस की सिफ़ारिशों पर विचार करना आवश्यक था । परन्तु हमारा अनुभव यह है कि सरकार जिन आयोगों को नियुक्त करती है वे सरकार के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, परन्तु साधारणतया सरकार न तो उन की सिफारिशों को मानती है और न उन के अनुसार कार्य करती है । १९४७ के प्रेस जांच समिति प्रतिवेदन ने यह नहीं कहा था कि प्रेस से जमानतें मांगी जायें । उस में कहा गया था कि साधारण क़ानून से ही काम चल सकता है प्रेस के लिये कोई विशेष क़ानून नहीं होना चाहिये । परन्तु राजा जी ने उस प्रतिवेदन की एक बात भी नहीं मानी । उसी प्रकार माननीय मंत्री का विचार है कि हो सकता है कि प्रेस आयोग की सिफ़ारिशें उन की इच्छा के अनुसार न होंगी । इसीलिये वे मामूली संशोधन कह कर बड़ी जल्दी जल्दी यह क़ानून बनवा रहे हैं । परन्तु मेरा तो विचार है कि इन में से एक संशोधन भी ऐसा नहीं है जिसे साधारण कहा जा सके ।

हमारे देश का प्रेस बहुत ही ज़िम्मेदार तथा संयत है । माननीय मंत्री को चाहिये कि श्री राजगोपालाचार्य के सुझाव के अनुसार वे इस व्यवसाय का ही एक निकाय बना दें जिस को, मिथ्या प्रचार करने वाले तथा अश्लील साहित्य छापने वाले प्रेस को दबाने के उत्तरदायित्व सौंप दें । यदि इस प्रकार के निकाय को, नियमों का पालन न करने वाले समाचारपत्रों के खिलाफ़ कार्यवाही करने की शक्ति दे दी जाये तो यह उपबंध इस प्रकार के विधेयक से कहीं अच्छा होगा, जिस का उदाहरण आप को संसार के किसी भी सभ्य देश में मिलना मुश्किल है । इस लिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस ले लें तथा प्रेस आयोग की सिफ़ारिशों का इन्तज़ार करें ।

श्री एम० पी० मिश्र : सभापति जी, बड़े गौर और आदर के साथ मैं ने मंत्री जी का भाषण सुना । आप जानते हैं कि चार वर्ष से इस बिल को लेकर इस भवन में, इस सदन में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, और आज जब मैं बोलने के लिये खड़ा हूं और आप सामने हैं तो मुझे वह दृश्य याद आ जाता है जब राजा जी के जमाने में, आप भी उन लोगों में थे जिन्होंने बड़ी सख़्ती के साथ इसके खिलाफ इस ऐक्ट के खिलाफ़, विचार प्रकट किये थे । मैं ने सोचा कि आखिर आज इस बिल को फिर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ? मैं ने काटजू साहब के भाषण को बड़े आदर के साथ सुना । उस के पहले मेरे मन में एक बात आई । यह कानून अपनी तौर से २६ जनवरी, १९५४ को खत्म हो गया था । सरकार ने, उस को संविधान के अन्दर जो अधिकार है उस से, आर्डिनेन्स बना कर इस को जिलाया । मैं अदब से कहना चाहता हूं कि ऐसे अहम मामलों में, ऐसे क़ानूनों को जो कि जनता के मूलाधिकारों से सरोकार रखते हैं, आर्डिनेन्स के जरिये नहीं जिलाना चाहिये । आर्डिनेन्स बनाने का हक सरकार को संविधान ने दिया है, लेकिन इस की विशेष मंशा तो यह है कि ऐसे वक्त में जब पार्लियामेन्ट अधिवेशन में न हो, और सरकार पर कोई बहुत बड़ा खतरा आ जाय, या ऐसी कोई ज़रूरत आ जाय जिस के बिना देश का काम न चल सकता हो, सरकार आर्डिनेन्स बना सकती है । लेकिन नवम्बर के सेशन में पार्लियामेन्ट को इस बिल पर विचार करने का समय नहीं मिला और आर्डिनेन्स के जरिये इस को जिलाया गया । मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर भी गौर करे कि आर्डिनेन्स किन किन मामलों में लागू किये जा सकते हैं । ऐसे क़ानूनों के लिये जो कि जनता के मूलाधिकारों

[श्री एम० पी० मिश्र]

से सम्बन्ध रखते हैं, उन को आर्डिनेन्स के जरिये जिलाने का तरीक़ा मेरी राय में बहुत खराब है ।

खैर, जब होम मिनिस्टर भाषण कर रहे थे तो एक दुखदघटना इस सदन के भीतर हो गई । मैं ने देखा कि पार्लियामेन्ट के कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर विशेष तौर से होम मिनिस्टर का भाषण सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं । वह चीखते थे, चिल्लाते थे, और जब उन को हमारे डिप्टी स्पीकर ने मना किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, तो और चीखने लगे । और आखिर में नतीजा यह हुआ कि वह उपाध्यक्ष पर आक्षेप करते हुए भवन से बाहर निकल गये ।

मैं सोचता था कि यह कानून है किस के लिये । होम मिनिस्टर ने अपने भाषण को बड़ी होशियारी से तैयार किया था । और उन्हों ने उन लोगों का नाम नहीं लिया जो कि यहां से भाग गये । मैं समझता हूं कि अगर सरकार को किसी से डर है, इस देश को अगर किसी से डर है, भारत की आजादी को किसी से डर है, इस देश की नई आजादी और लोकतंत्र को किसी से डर है, तो वह वही लोग हैं जो कि इस भवन से भाग गये । लेकिन हमारे होम मिनिस्टर ने, काटजू साहब ने, अपने भाषण में उन का कहीं नाम नहीं लिया । हमारे दूसरे दोस्त वेंकटरामन साहब ने भी मद्रास की मिसालें दीं कि केवल इन्डीसेन्ट और स्करिलस बातों को भद्दे और अश्लील-पत्रों को रोकने के लिये वहां के अखबारों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई । इस देश में आज एक नहीं कई पार्टियां हैं, एक कम्यूनिस्ट पार्टी है, दूसरी तरफ़ आर० एस० एस० है जिस को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहा जाता है, एक और उसी से निकला हुआ दल है जन संघ । यह इस देश में ऐसे दल हैं जिन का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इन तीनों दलों के अलावा और छोटी मोटी पार्टियां भी हैं जो खुले आम कहती हैं कि उन का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है । यही नहीं कि उन का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है बल्कि यहां प्रजातंत्रात्मक तरीके से जो सरकार कायम है इस से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि सन् १९४७ से और विशेषकर सन् १९५२ से जो सरकार यहां पर कायम है वह प्रजातंत्रात्मक तरीके पर बनी है उन में उन का विश्वास नहीं है ।

वे सरकारें जनता की राय से बनी हैं वे लोकतंत्रात्मक सरकारें हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात सभा बृहस्पतिवार, ११ मार्च, १९५४ के एक बजे तक के लिए स्थगित हुई ।